सबला

वर्ष 2 : अंक 11-12 सेवाग्राम विकास संस्थान, नई दिल्ली मार्च, 1990

अपना
दिन मनाएं
तो
बड़ा मज़ा आए
इसे
त्यौहार बनाएं
तो
बड़ा मज़ा आए

इस अंक में

हमारी बात	1
एक रपट महिला दिवस की	3
——पूर्वांचल ग्रामीण एवं प्रशिक्षण संस्थान भारती, एक्शन इंडिया बीका-जागोरी, प्रदीप प्रियदर्शी	
प्रधान मंत्री के नाम मांग-पत्र	5
——महिला संगठन	
हम बेटी पर बलिहारी (गीत)	7
—कमला भसीन	
जहां स्त्री-पुरुष बराबर हैं	9
—सुहास कुमार	
प्रफुल पर बलात्कार	11
अफ्रीका में बदलाव की हवा	12
सावित्री बाई फुले	13
लड़कियां—आंखों का तारा	15
——विजी श्रीनिवासन	
उप-कानूनी सहायता	16
——भेंट वार्ता उर्मिला कपूर से	
आठ मार्च : हम औरतों का त्यौहार	18
—कमला भसीन	
आज फिर से औरत उठ खड़ी हो रही है	21
——चंद्रलेखा की 'स्त्री कथा' के अंश	
महिला शक्ति के नए आयाम	24
——'सोशियल वेलफियर' के लेख पर आधारित	
तेंतर की कहानी	27
——मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित	
सोने की मोहर	29
—संतोष बजाज	
फूलवती का साहसपूर्ण निर्णय	30
——रीता चतुर्वेदी	
रोटी की जुगाड़ में पिसते बच्चे	31
—वीणा चौहान	
स्त्री की अपनी पहचान भी है	33
——बीना जैन	
हाय ! कैसी मजबूरी	34
——विमला गोयल	
नारे व गीत	
——कमला भसीन	
आवरण चित्र——	
मानिकपुर, जिला बांदा में डोल बजा कर "अपना दिन" मनाती एक बहन	
सौजन्य : जागोरी	

सहयोग मंडल

कमला भसीन

ज्ञानेंद्र प्रसाद जैन

'जागोरी' समूह

सुहास कुमार

प्रतिभा गुप्ता

ग्रामीण बहनों की द्विमासिक पत्रिका—महिला व बाल विकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार और यूनीसेफ, नई दिल्ली द्वारा अनुदानप्रदत्त; डाक्टर शारदा जैन (सेवाग्राम विकास संस्थान, 1 दरियागंज, नई दिल्ली-110002) द्वारा संपादित व प्रकाशित तथा इन्द्रप्रस्थ प्रेस (सी.बी.टी.), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 में मुद्रित।

हमारी बात

आज ये आगे बढ़ते कदम हमारे
हटेंगे न पीछे मज़बूत कदम हमारे
मिलकर जब हम एकजुट हो जाएं
ताकत अपनी सौगुनी बढ़ाएं
मिलकर जब हम आवाज़ उठाएं
धरती, दिशाएं और आसमान गुंजाएं

चुप बैठे होती नहीं समस्याएं कम
निकालना होगा इनका हल स्वयं
होंगी नहीं ये एक दिन में हल
बाधाएं भी कभी न होंगी कम
खानी होगी हमें आज यह कसम
रुकें न हर हालत में बढ़ते कदम

दिन का तमाम शोर कर सकता नहीं कम
हमारी आवाज़ का पुरज़ोर असर
आज पहचान ली है हमने अपनी ताकत
पहचान ली है संगठन की भारी ताकत
छोटी नदियों से जुड़कर नदी की बड़ी धारा
कहां कहां न बहा ले जा सकती यह धारा

जलाया है हमने जागृति का दीपक
देखना, बुझने न पाए यह दीपक
एक दीपक से जलेंगे करोड़ों दीपक
तमाम रातों का अंधेरा कर सकता नहीं कम
हमारे इस दीपक की उज्ज्वल ज्वाला
चहुं दिशा में छाकर रहेगा इसका उजाला

—सुहास कुमार

आओ
मनायें
८ मार्च

एक रपट महिला दिवस की

किसने कैसे मनाया

जिला गाजीपुर (उ०प्र०) के पूर्वांचल ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान ने मलाड़ी गांव में महिला दिवस मनाने की योजना बनाई। रबी की फसल में मसूर व खोसारी दाल की कटनी शुरू हो जाने के कारण गरीब औरतों को इकट्ठा करना मुश्किल था। फिर भी 8 मार्च को काफी औरतें जुलूस में शामिल हुई। मलाड़ी गांव में मेले जैसा वातावरण बन गया। गत्ते, दफ्ती और दीवारों पर महिलाओं संबंधी नारे लिखे गए। आगे-पीछे बैनर लिए औरतों ने जुलूस निकाला और नारे लगाए। लगभग 3 किलोमीटर रास्ता तय कर औरतों का जुलूस वाराचर विकास खंड पहुंचा और बाजारों से होता हुआ वापिस मलाड़ी गांव आया। गांव में सभा हुई और औरतों ने अपना शोषण और अत्याचार मिटाने की बातें कीं। 'दहेज' और 'घास में लाश' नामक दो नुक्कड़ नाटक खेले गए।

मलाड़ी गांव और आसपास के क्षेत्र में पहली बार 8 मार्च का दिन मनाया गया था। लोग हैरानी से औरतों के जुलूस को देख रहे थे। चाय व पान आदि की दुकानों पर बैठे लोगों में चर्चा हुई और उन्हें समझ में आया कि यह ड्रामा पार्टी की लड़कियां नहीं हैं। औरतों के संगठन और उनकी भागीदारी पर खुलकर बातें हुईं।

--संयोजक
पूर्वांचल ग्रामीण एवं प्रशिक्षण संस्थान

"मेरी बहनें मांगें आजादी
मेरी मांएं मांगें आजादी"

इन नारों से गूंजती जीप सिरीहरा और हाथी बाजार गांवों से गुजरी। जीप में बैठी औरतों की आवाज और बुलंद हो गई। हाथी बाजार में मेले का आयोजन था। जीप से उतर कर कुछ सखियों ने पंडाल सजाया और बैनर व पोस्टर लगाए। पंडाल के बाहर लगा बैनर महिला दिवस की घोषणा कर रहा था।

सब सखियां एक गोल घेरे में बैठ गईं और कुछ ने महिला दिवस संबंधी नारे लगाए। गोल घेरे में बैठी सभी औरतों ने नारे लगाए हों, ऐसी बात नहीं थी। ज्यादातर चुपचाप बैठी रहीं, लेकिन पूरे कार्यक्रम में उनकी दिलचस्पी बनी रही। जैसे बूढ़ी औरतें अन्य त्यौहारों पर कहानी सुनाती हैं उसी लहजे में एक सहयोगिन ने महिला दिवस की कहानी सुनाई। महिला संगठनों का महत्व, शोषण व अत्याचार के खिलाफ संघर्ष और औरतों की भागीदारी पर चर्चा हुई। दिन भर के आयोजन में गीत गाए गए, छोटे-छोटे नाटक खेले गए और औरतों ने अपना दुख-सुख बांटा।

एक नाटक था राशन की दुकान से खाली हाथ लौटीं कुछ औरतों पर। दो गांवों की औरतें मिट्टी का तेल और चीनी न मिलने की बात करती हैं और उन्हें एहसास होता है कि इस समस्या से निपटारा मिलकर ही किया जा सकता है। वे एक संगठन बनाती हैं और इस समस्या को सुलझाने में एकजुट होकर आगे बढ़ती हैं। नाटक के बाद गीत और खानपान हुआ। कुछ औरतों ने विधवा पेंशन पाने में दिक्कतों की चर्चा की।

कठपुतली का खेल हुआ। इसमें दिखाया गया कि ओझा और झाड़-फूंक वाले औरतों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। इसके बाद हुई रस्साकशी जिसमें औरतों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। दिल्ली से आई बहनों ने 'फड़' द्वारा लड़के-लड़की के बीच भेदभाव की बात समझाई।

कुल मिलाकर कार्यक्रम सफल रहा। हाथी बाजार जैसे दूर-दराज के गांव में औरतों के अधिकारों की बातें उठीं। एक अच्छी शुरुआत थी।

—बीका, 'जागोरी'

छाड़ क्षेत्र महिला मंडल (जिला सहारनपुर, उ०प्र०) ने इस साल पहली बार अपने इलाके में 8 मार्च मनाना तय किया। छाड़ क्षेत्र सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ की तलहटी में जंगल के इर्द-गिर्द बसा एक पिछड़ा इलाका है। यहां बसे 40 हजार परिवार जंगल से बान बनाकर या दूसरी मजदूरी कर अपनी रोज़ी-रोटी कमाते हैं। जब से वन निगम बना (1986 से) यहां लगातार ठेकेदारों और वन निगम से गरीब परिवारों का संघर्ष चल रहा है। छाड़ मजदूर मोर्चे में गांव की औरतों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

महिला दिवस की योजना बनाने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में यह तय हुआ कि महिला दिवस का मुद्दा रहेगा "औरतें घर से बाहर निकलें" और छाड़ मजदूर मोर्चे को मजबूत बनाएं। 22 गांवों के बीच बसा गांव जसमौर महिला दिवस के लिए चुना गया। यह भी तय किया कि औरतों को खुला मौका दिया जाएगा बोलने का, गाने का और नाचने का।

कार्यक्रम की शुरुआत की रेशमा और ज्ञानवती ने एक नाटक से।

रेशमा—अरे, इतनी औरतें क्यों जमा हैं? क्या किसी की शादी है या फिर बच्चा पैदा हुआ है?

ज्ञानवती—नहीं, आज औरतों का त्यौहार है।

रेशमा—कैसा त्यौहार? आज तो न करवा चौथ है, न राखी, न भाईदूज और न होई अष्टमी।

ज्ञानवती—नहीं, यह सब नहीं। आज औरतों का अपना त्यौहार है।

रेशमा—यह क्या चीज है? होली, दीवाली, तीज तो सुने थे, पर औरतों का त्यौहार तो कभी नहीं सुना।

इसी बीच शरबती उठी और गोल घेरे के बीच आकर बोली—

आज हमारी छुट्टी है, छुट्टी। दूसरे सभी त्यौहारों में औरों की छुट्टी रहती है, पर हम औरतों को तो और ज्यादा खाना व पकवान बनाने पड़ते हैं। ज्यादा खटना पड़ता है। आज हमारी सब कामों की छुट्टी है।

इसी तरह और औरतें नाटक में जुड़ती गईं। इसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता चंद्रा ने 8 मार्च का इतिहास बताया। नारों से पंडाल एक बार फिर गूंज उठा।

पुष्पा ने गाया—

जिस दिन छाड़ की जनता को
भागड़ का हक मिल जाएगा
उस दिन मेरे गीतों का
त्यौहार मनाया जाएगा
छाड़ की जनता जिंदाबाद
छाड़ की महिला जिंदाबाद

एक 80 साल की बूढ़ी महिला खांसते-खांसते माइक पर आई और बोली—

हमारे इलाके में कुछ भी नहीं है
ना सड़क, ना स्कूल, ना बिजली
ना साफ पानी, ना डाक्टर, ना अस्पताल
यह सब हासिल करने के लिए
हमें लड़ना पड़ेगा
बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा।

महिला दिवस के आयोजन में कार्यकर्ताओं के अलावा गांव की अन्य औरतों ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इससे पता चलता है कि औरतों में हुनर की कमी नहीं, सिर्फ मौका मिलने की कमी है। मौका मिलते ही उनका हुनर निखरकर सामने आ जाता है।

—भारती
एक्शन इंडिया, नई दिल्ली

प्रगति ग्रामीण विकास समिति, अमरपुर (जिला पटना, बिहार) ने 1 मार्च से 8 मार्च तक महिला

सप्ताह मनाने का फैसला किया। इस आयोजन में खेतिहर महिला मजदूरों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए पचास गांवों में जन-संपर्क अभियान चलाया। इन गांवों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई।

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार के सहयोग से तीन दिन का महिला श्रमिक प्रशिक्षण शिविर लगाया। इसमें श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरों संबंधी जानकारी दी। शिविर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और निर्धूम चूल्हों के बारे में भी बताया गया।

शिविर के दौरान औरतों की कई समस्याएं उभर कर सामने आईं। 25 वर्षीय विधवा झलेसर देवी ने बताया कि बस दुर्घटना में उसके पति को मरे आठ महीने हो गए, लेकिन अनुग्रह की रकम नहीं मिली। छक्कन बोधा गांव से निकाले गए 40 परिवारों की औरतों ने अपनी मुश्किलें बताईं। खजूरो गांव की हरिजन औरतों ने गांव के बीच से जाने का रास्ता न होने से अपनी दिक्कत बताई।

8 मार्च को करीब दो हजार औरतें सुबह-सुबह पंडाल में आ गईं। इनमें खेतिहर मजदूरिनें, स्कूल-कालेज की छात्राएं, घरेलू औरतें आदि सभी शामिल थीं। सम्मेलन में औरतों को आत्म-सम्मान से जीने, जायदाद में पति-पत्नी को बराबर हक मिलने संबंधी प्रस्ताव पास किए गए। 'दहेज', 'बेटा चाहिए', 'अपना घर' और 'आजाद भारत की नारी' नाटक खेले गए जिनमें मुख्य रूप से औरतों की हालत दिखाई गई थी। साक्षरता अभियान चलाने और पूरे प्रखंड में पंचायत स्तर पर महिला संगठन बनाने का फैसला लिया गया।

'हम होंगे कामयाब' गीत के साथ सम्मेलन पूरा हुआ। औरतों ने एक दूसरे के गुलाल-अबीर लगाकर विदाई ली।

—प्रदीप प्रियदर्शी

महिला संगठनों का
प्रधान मंत्री के नाम
मांग-पत्र

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1990 पर अनेक महिला संगठनों ने प्रधान मंत्री के नाम भेजे मांग-पत्र में मांगों के अलावा अपने नजरिये से रचनात्मक नीचे लिखे मुख्य सुझाव भी दिए––

विकास कार्यक्रम संबंधी

1. सरकारी योजनाओं को कारगर बनाने के लिए स्त्रियों के अधिकार व विकास-संबंधी समिति को ग्राम पंचायत की स्त्री प्रतिनिधियों को साथ लेकर कार्यशील होना चाहिए। समिति को खास-तौर से यह देखना चाहिए कि योजनाएं ठीक तरह लागू होती हैं।

2. पंचायत में औरतों के लिए 30 फी सदी प्रतिनिधित्व में जनजाति और गरीबतम औरतें भी शामिल की जाएं।

3. खेती, ग्राम विकास, उद्योग-धंधों, शिक्षा व स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्त्रियों के लिए अलग कोष बनाया जाए।

4. मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को निर्धारित समय में पूरा किया जाए।

5. ज़मीन के पट्टों पर पति और पत्नी दोनों का नाम हो।

कानून-संबंधी सुझाव

1. वैवाहिक जीवन से बाहर यौन संबंध, एक पत्नी के रहते दूसरा ब्याह, वैश्यावृत्ति आदि से संबंधित कानूनों में बुनियादी बदलाव लाया जाए। बलात्कार संबंधी कानून में सुधार किया जाए।

2. हाल में सती-विरोधी कानून में हुए सुधार पर दोबारा सोच-विचार किया जाए और इसे आत्महत्या की दृष्टि से न देखा जाए।

3. सारे विवाहों का पंजीकरण जरूरी माना जाए।

4. पारिवारिक अदालतें कायम की जाएं।

5. श्रम-संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए सरकारी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाए।

6. सरकार कड़ी निगरानी रखे कि न्यूनतम मजदूरी कानून पूरी तरह लागू हो।

7. समान काम, समान आय कानून में स्त्रियों को बराबर काम के बजाए एक तरह का काम करने वाली स्त्रियों को पुरुषों के बराबर मजदूरी दी जाए।

8. मजदूरी संबंधित कानून लागू करने के लिए महिला संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों और महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए।

9. पारिवारिक संपत्ति में स्त्रियों का बराबर का अधिकार और ब्याह के बाद पति की संपत्ति में पूरी भागीदारी मानी जाए।

रोज़गार-संबंधी सुझाव

1. नई तकनीकें लागू करते समय खास ध्यान रखा जाए कि परंपरागत व ऐसे धंधों से जिनमें ज्यादा औरतें मजदूरी कर रही हैं उन्हें काम से न हटाया जाए।

2. बड़े सरकारी उद्योगों को छोटी और गैर-सरकारी इकाइयों के तौर पर बढ़ावा दिया जाए जिससे औरतों को ज्यादा रोज़गार मिल सकें।

3. अस्थाई, रोज़ाना मज़दूरी पर काम करने वाली, ठेके पर काम करने वाली मज़दूरिनों को काम दिलाने की गारंटी।

4. खेतिहर महिला मज़दूरों को रोज़गार दिलाने के लिए ग्राम विकास कार्यक्रमों में ध्यान दिया जाए और उनका काम हल्का करने के लिए उन्हें तकनीकी साधन मुहैया कराए जाएं और खाली समय के उपयोग के लिए रोज़गार दिलाए जाएं।

5. ट्रेनिंग कार्यक्रमों में महिलाओं को प्रशिक्षित कराया जाए। महिला पोलीटेकनीक और जिला स्तर पर तकनीकी कालिज खोले जाएं।

6. चौथे आय कमीशन के इस सुझाव से कि सिर्फ दो बच्चों के लिए मातृत्व की सुविधा दी जाए हम सहमत नहीं हैं। इससे माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को भारी खतरा है। बच्चों की संख्या तय करने में ज्यादातर उनका हाथ नहीं होता, फिर सज़ा उन्हें क्यों। केंद्रीय मातृत्व कोष से इसके लिए धन निकाला जाए।

7. ज्यादा से ज्यादा औरतों को रोज़गार केंद्रों में पंजीकृत किया जाए। उनके आवेदन-पत्र भेजने में भेदभाव नहीं किया जाए। इसकी निगरानी के लिए महिला संगठनों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

8. सुझाव और सलाह समितियों में कम से कम 51 फी सदी ट्रेड यूनियनों और महिला संगठनों के प्रतिनिधि रखे जाएं।

9. काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए होस्टल और आवास की सुविधाएं दी जाएं। पारिवारिक महिला मुखियाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर उनके बच्चों की देखभाल की सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

शिक्षा-संबंधी सुझाव

1. मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह सफल बनाई जाए।

2. शिक्षा योजनाओं का 50 फी सदी भाग लड़कियों और महिलाओं पर खर्च किया जाए।

3. दिन का खाना मुफ्त, कापी-किताबें और अन्य सब सरकारी सहायता उन्हें मिल रही है या नहीं, यह देखने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

4. अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के पूरक के रूप में तो काम कर सकती है, पर पूरी तरह उसका स्थान नहीं ले सकती।

स्वास्थ्य-संबंधी सुझाव

1. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक धन खर्च किया जाए।

2. परिवार नियोजन कार्यक्रमों में स्त्रियों और पुरुषों को बराबरी से शामिल किया जाए। नियोजन के परीक्षणों या स्त्रियों को नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों को स्त्रियों पर थोपा न जाए।

3. स्त्रियां स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग ले सकें, इसके लिए उनके बच्चों की देखभाल का प्रबंध किया जाए।

4. अनीमिया, टी.बी., कोढ़ आदि रोगों की नियमित जांच की जाए।

5. गांवों को चलते-फिरते चिकित्सालयों की सुविधा दी जाए।

6. रोग के लक्षणों की गैर-मौजूदगी में भ्रूण के लिंग की जांच की कड़ी मनाही।

7. जरूरतमंदों को कम कीमत पर दवाएं दिलाई जाएं।

8. साफ पानी, शौच व आवास सुविधाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए।

9. हर गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई रखी जाए।

□

हम बेटी पर बलिहारी

गोद बिटिया खिलाएं तो बड़ा मजा आए
उस पे बलिहारी जाएं तो बड़ा मजा आए
लाखों लाड़ लड़ाएं तो बड़ा मजा आए
उसे सर पे चढ़ाएं तो बड़ा मजा आए

बेटी हो पैदा तो खुशियां मनाएं
बड़े जोरों से थाली बजाएं
दुनिया सर पे उठाएं
तो बड़ा मजा आए

मिलजुल कर नई दुनिया बनाएं
जहां बेटी कभी न मुरझाए
बिटिया खिल-खिल जाए
तो बड़ा मजा आए

बेटी हमारी भी खेलन को जाए
संग सखियों के मौज उड़ाए
छुट्टी कामों से पाए
तो बड़ा मजा आए
बचपन उसका भी गाए
तो बड़ा मजा आए

ज्ञान बढ़ाने मदरसे को जाए
बेटी लायक और काबिल बन जाए
घर का मान बढ़ाए
तो बड़ा मजा आए
कुल का दीपक बन जाए
तो बड़ा मजा आए

जूडो कराटे बेटी को सिखाएं
कोई मजनू जो रस्ते में आएं
उन्हें पाठ पढ़ाए
तो बड़ा मजा आए
उनका भूत भगाए
तो बड़ा मजा आए

बेटी और बेटा दो आंखों के तारे
दोनों चमकेंगे तारे हमारे
उन पे वारी वारी जाएं
तो बड़ा मजा आए

—कमला भसीन

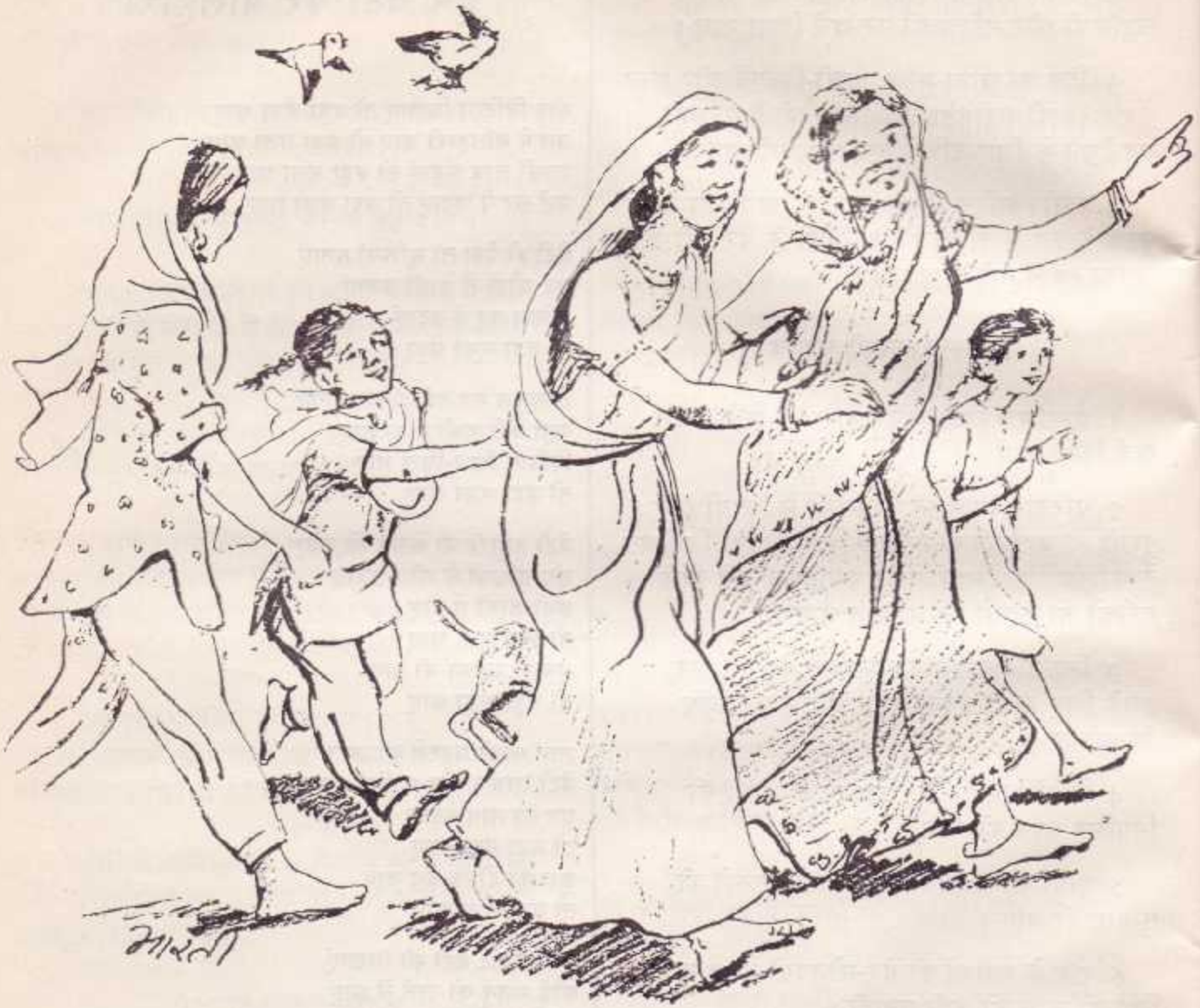

चेतन हो गये हम सब आज
साथ उठेगी यह आवाज
नारी शोषण मिटाएंगे
नया समाज बनाएंगे

जहां स्त्री-पुरुष बराबर हैं

सुहास कुमार

पत्नी—सुनो जी, अखबार में छपा है कि अफ़गानिस्तान में स्त्री-पुरुष बराबर हैं।

पति—तो वहां दोनों की आबादी बराबर-बराबर है।

यह महानगरी में रहने वाले पढ़े-लिखे उच्च मध्य-वर्गीय पुरुषों की बात है। वे इसके आगे या तो सोच नहीं पाते या सोचना ही नहीं चाहते हैं।

यह धारणा है कि मुस्लिम समाज में स्त्रियों को पीछे रखा जाता है, पर मुस्लिम आबादी वाले देश अफ़गानिस्तान ने इस धारणा को झुठला दिया है। दो हजार साल पहले यहां आर्य आकर बसे थे। उस समय लोकतंत्र था और समाज में सब बराबर थे। स्त्रियां घरों, खेतों और उद्योग-धंधों में बराबरी के काम करती थीं और उन्हें बराबरी के अधिकार थे। वे किसी भी क्षेत्र में पिछड़ी नहीं थीं। अफ़गानिस्तानियों का कहना है कि कुरान के आदेशों के अनुसार स्त्रियों को बराबर रखना पुरुषों का फ़र्ज़ बनता है।

काबुल के पास बाग्राम में इसका सबूत मिलता है। वहां कपड़ा बुनने के एक कारखाने में 1500 पुरुषों के साथ 500 स्त्रियां बराबरी के काम करती हैं। आठ-आठ घंटे की पारियों में वे रात की ड्यूटी भी करती हैं। उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन, बोनस आदि मिलता है। उन्हें ट्रेड यूनियनों में भाग लेने की पूरी छूट है।

अफ़गानिस्तान में ही नहीं, भारत में भी कुछ जगहें हैं जहां स्त्रियों का दर्जा पुरुषों के बराबर है। कुछ मानी में उनसे बेहतर है। सुदूर पूरब में स्थित मेघालय पहले असम का हिस्सा था। यहां की स्त्रियों के बारे में सुना जाता था कि वे पुरुषों को भेड़ा (मेमना) बना लेती हैं। गारी और खासी पहाड़ी जनजातियों का मुख्य धंधा खेती और पशुपालन है। यहां मातृ-सत्तात्मक राज्य है, यानी ज़मीन-जायदाद मां से लड़की को मिलती है। ब्याह के बाद लड़की का पति लड़की के गांव आकर रहता है और जायदाद की देखभाल करता है। हालांकि गांव का मुखिया पुरुष होता है, जो गांव के सबसे बड़े घराने की स्त्री का पति होता है, उसे खास राजनैतिक अधिकार नहीं मिले होते। खेती का काम स्त्री-पुरुष बराबर करते हैं। घर का काम ज्यादातर स्त्रियां करती हैं, पर पुरुष बच्चों की देखभाल में मदद करते हैं।

गांव में जब बड़े पैमाने पर भोज होता है तब पुरुष भोजन बनाते हैं। बेंत का काम या डलिया बनाना ज्यादातर पुरुष करते हैं। सामाजिक उत्सवों में स्त्री-पुरुष बराबरी का भाग लेते हैं। घर पुरुष बनाते हैं, लेकिन संपत्ति की उत्तराधिकारी लड़की होती है। संपत्ति की देखरेख उसका पति करता है। तलाक जल्दी नहीं होने दिया जाता। अगर तलाक होता है तो पति घर और जायदाद से बिना कुछ लिए सिर्फ अपने कपड़े व व्यक्तिगत चीजें लेकर चला जाता है। विवाहित जीवन से बाहर यौन संबंधों की दोनों को मनाही है। दोनों के लिए सजा बराबर है। पति को खास आदर देने का रिवाज नहीं है। पत्नी को मारना बुरा समझा जाता है।

यहां लड़की के लिए ज्यादा चाहना होती है, क्योंकि उसे जायदाद मिलती है, लेकिन लड़के और लड़की के पालन में कोई भेद नहीं रखा जाता। लड़के को जन्म के समय मारने का कोई जिक्र नहीं है। लड़की या उसके संरक्षकों को वर चुनने का वर पक्ष से ज्यादा अधिकार है। लड़के और लड़कियों को आपस में मिलने की काफी छूट है। यदि अनब्याही लड़की के गर्भ रह जाए तो बदनामी लड़की की होती है। लड़के ज्यादा स्वतंत्र जीवन बिताते हैं।

सुदूर पूर्व में ही एक अन्य राज्य है मणिपुर, जहां समाज और संस्कृति पुरानी परंपरा की तरह ही है, पर वहां स्त्रियों की हालत बहुत अच्छी है। वे बराबर के काम करती हैं और उन्हें बराबर के अधिकार मिले हैं। वहां लड़कियां और स्त्रियां सदा मुस्कराती और ताज़गी से भरी दिखाई देती हैं। अधिकतर वे फूलों के गहने पहने, माथे पर चंदन लगाए दिखाई देती हैं। 12-13 साल की उम्र तक वे तौलिये, चादर व शाल बुन लेती हैं और महीने में 40-50 रु० कमा लेती हैं। वे स्कूल पढ़ने भी जाती हैं और स्कूल से लौटने के बाद बुनाई करती हैं। वहां दहेज का रिवाज उत्तर भारत की तरह नहीं है यानी इस प्रथा की बुराइयां नहीं हैं।

हमारी बात केरल की चर्चा किए बिना पूरी नहीं हो सकती। भारत के दक्षिण में केरल राज्य है। यहां भी मातृ-सत्तात्मक समाज है। संपत्ति विरासत में लड़कियों को मिलती है। उसकी देखभाल भी भाई करता है। परिवार की मुखिया स्त्री होती है। उसके न रहने के बाद संपत्ति उसके बच्चों में बंटती है। संपत्ति में लड़की के बच्चों को हिस्सा मिलता है, जबकि लड़के के बच्चों का हिस्सा नहीं होता। बच्चों का नाम भी मां के वंश के नाम से चलता है, यानी बच्चे का वांशिक नाम मां और मामा का होता है। पिता का दूसरा हो सकता है। ब्याह के बाद पति का ससुराल में रहने का रिवाज भी है। इस सामाजिक व्यवस्था में अब परिवर्तन हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर समाज का ढांचा वैसा ही है।

चूंकि लड़की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है, उसके जन्म का स्वागत किया जाता है। पर लड़के-लड़कियों के पालन-पोषण में कोई भेद नहीं किया जाता। शिक्षा का मौका दोनों को बराबर-बराबर मिलता है।

दहेज का रिवाज पहले बिल्कुल नहीं था, अब चल पड़ा है, पर मांगने-लेने का नहीं है, यानी दहेज प्रथा की बुराइयां बिल्कुल नहीं हैं। ब्याह का प्रस्ताव लड़के वालों की ओर से आता है। कभी सुनने में नहीं आया कि पुरुष इस व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। घर में पति-पत्नी के बीच मीठे संबंध दिखाई देते हैं। स्त्रियां पुरुषों पर हावी दिखाई नहीं देतीं। पुरुष स्त्रियों से बुरे बर्ताव की बात सोच ही नहीं सकते हैं। पूरे राज्य में खुशहाली है जो सामाजिक व्यवस्था का ही फल है। यहीं सबसे पहले पुलिस विभाग में औरतें आईं। सिर्फ औरतों द्वारा संचालित थाना भी पहली बार यहीं खुला। महिला विकास योजनाएं भारत के अन्य भागों के मुकाबिले यहीं ज्यादा सफल और कारगर रही हैं।□

आधा भारत नारी है
तो फिर वह क्यों बेचारी है ।

संगठन हमारी जान है
मिल कर हम तूफान हैं

हम सहेंगे अपमान नहीं
नारी खेल का सामान नहीं

औरत को भी काम चाहिए
काम का पूरा दाम चाहिए

हम ही सब कुछ पैदा करतीं
फिर भी हम क्यों भूखों मरतीं

हम ही सब घरबार बनातीं
हम ही क्यों बेघर रह जातीं

मां का ही क्यों लेते नाम
घर का काम है सब का काम

औरतों का जन-आंदोलन

प्रफुल पर बलात्कार

26 दिसंबर 1988 की रात को गोमिया प्रखंड (बिहार) के खंभरा गांव में 13 साल की आदिवासी लड़की प्रफुल पर गांव के पांच युवकों ने मिलकर बलात्कार किया। प्रफुल विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारखाने में काम करती है। जब वह अपनी सहेली गीता और उसकी मां के साथ लौट रही थी तब गुंडे जबर्दस्ती उसे खींच ले गए। वह चिल्लाई पर उसकी मदद को कोई नहीं आया। गीता की मां एक परिचित घर में मदद के लिए गई, उसे जवाब मिला—"रात में वहां कौन जाएगा ?"

बलात्कार के बाद ठंड लगने के कारण गुंडे आग जलाने लगे। प्रफुल ने सोचा कि वे शायद अब उसे जला देंगे। वह डर के मारे पेड़ों के बीच छिप गई। जब गुंडे चले गए तब काफी देर बाद वह घर पहुंची।

प्रफुल का सौतेला पिता है। वे सात बहनें हैं। पिता इतना नहीं कमाता कि उन्हें स्कूल भेज सके।

दूसरे दिन प्रफुल गीता के घर गई। गांव की पंचायत बैठी जिसमें तय हुआ कि हर गुंडे को 5,000 रु. जुर्माना देना होगा। इस पर गुंडों ने कहा, "हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तब क्या डकैती डालें ?" पंचायत में बैठे लोग डर गए और उन्होंने जुर्माना घटा कर 100 रु० कर दिया। इससे औरतें भड़क उठीं कि क्या 100 रु० देकर एक स्त्री का बलात्कार किया जा सकता है ?

औरतें बड़ी कठिनाई से थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करा पाई। डाक्टरी परीक्षा में बलात्कार की पुष्टि हुई। फिर भी बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब विरोध में आदिवासियों ने आवाज बुलंद की तब 10 जनवरी को पांचों बलात्कारियों को गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया गया।

सैकड़ों औरतों ने जिस तरह विरोध प्रदर्शन किया वह गोमिया के इतिहास में अनूठी घटना थी। 12 महिला संगठनों ने बड़े छोटे अधिकारियों को विरोध-पत्र भेजे। 29 जुलाई 1989 को केस की सुनवाई हुई। उस समय बलात्कारी गुंडे—सुधीर मुर्मू, सनथवा कच्छप, हूरक उरांव, मनोज पासवान और शेरने लकड़ा जमानत पर छोड़ दिए गए थे। इसलिए काफी कठिनाई आई। अन्य औरतों को बलात्कार की धमकी दी गई। मामले को राजनैतिक और सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई। पचास से अधिक लोग फैसले वाले दिन अदालत में मौजूद थे जिनमें अधिकांश औरतें थीं जिन्होंने बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाई। बलात्कारियों को 7-7 साल सख्त कैद की सजा हुई।

बलात्कारियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है। फैसला जो भी हो, अब क्षेत्र के बलात्कारी समझ गए हैं कि वे मनमानी नहीं कर सकते। स्त्रियों पर जुल्म करने के मामलों की सुनवाई के लिए एक मंच बनाया गया है जिसमें महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा कुछ सरकारी अफसर और वकील भी हैं और उनकी सभाएं नियमित होती हैं। □

सबला

मैं 'सबला' पत्रिका द्वारा अपनी कठिनाई सामने रखना चाहती हूं। गोमिया में औरतों को मारने पीटने और जान से मारने तक की वारदातें होती रहती हैं। उनका पता लगाकर हम उन्हें प्रकाशित करते हैं और पुलिस में रपट दर्ज कराते हैं, पर गवाही न मिल पाने के कारण इससे आगे कुछ नहीं कर पाते। ज्यादातर औरतें अपने मायके से बहुत दूर पति की नौकरी पर यहां आई हुई हैं। इसलिए उनके लिए गवाही कौन दे ? कुछ को मारकर रेल की पटरी पर डाल दिया जाता है।

हम अपने को ऐसे मामलों में बहुत असहाय पाते हैं। क्या आप हमें मार्गदर्शन देंगी ?

—सिस्टर पिलारा

प्रफुल्ल की मौत और बलात्कारियों द्वारा की गई हत्याएं, गोमिया की बहनों और देश के अनेक भागों में की गई ऐसी हत्याओं को जब तक अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखा जाएगा उनका हल नहीं निकल सकता।

हमें इन समस्याओं को सामूहिक सामाजिक समस्याओं के रूप में देखना होगा। महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक शक्ति तो बढ़ानी होगी ही, पुरुषों की सोच में भी बदलाव लाना जरूरी है। इसमें संवेदनशील और खुले विचारों वाले पुरुष एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। पुरुषों का हथियार सिर्फ उनका शारीरिक रूप से अधिक बलवान होना नहीं है, उनका सबसे बड़ा हथियार है समाज और सरकार द्वारा परिवार के मुखिया और पोषणकर्ता के रूप में देखा जाना, भूमि और संपत्ति का उनके नाम होना। इसी हथियार द्वारा स्त्रियां बार-बार पराजित होती हैं।

—सुहास कुमार

अफ्रीका में बदलाव की हवा

अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोजांबीक जो भारत की ही तरह विकास की दौड़ में लगा है। वहां के लोगों का मुख्य धंधा खेती है और वे काफी गरीब हैं। पहले उनका कृषि-उत्पादन बहुत कम था, पर वहां की औरतों ने जो कर दिखाया उससे वे अपने ही देश में प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। वहां की सामाजिक व्यवस्था हमारे देश की तरह ही है। पुरुषों से यह कहना कि हम बाहर काम करने जाएं, तुम घर रहकर बच्चों की देखभाल करो, पूरे सामाजिक ढांचे की जड़ें हिलाने की तरह है।

'मापूतो' के खेतिहर इलाके में बहुत कुछ नया और चौंका देने वाला काम हो रहा है। एक बुनियादी आंदोलन जिसमें 97 फी सदी स्त्रियां ही हैं, पुरुषों के साथ बराबरी के लिए चुनौती बनकर खड़ा हो गया है।

1980 में जब वहां सहकारी समितियां बनीं तब उनका उद्देश्य खेती का उत्पादन बढ़ाना था। इस समय इनकी संख्या 210 है और सदस्यों की संख्या 10,500। खेती का उत्पादन बहुत बढ़ा है। सिर्फ यही नहीं, गरीब और विधवा स्त्रियां भी इनकी ओर खिंची। पहली बार ऐसा हुआ कि स्त्रियां न सिर्फ फसलें उगा रही थीं, बल्कि उन्हें बेचकर पैसा भी घर ला रही थीं। उससे भी बढ़कर वह पैसा पूरी तरह उन्हीं का था। हर सहकारी समिति के साथ बच्चों की देखभाल का एक केंद्र और वयस्कों को साक्षर बनाने और गिनती सिखाने का केंद्र भी कायम हुआ।

शुरू में पुरुषों को भरोसा नहीं था कि औरतें रुपए-पैसे के मामलों को ठीक ढंग से निपटा सकेंगी। उनका विचार था कि औरतें सिर्फ बच्चा पैदा कर सकती हैं। या घर की देखभाल कर सकती हैं। औरतें खुद भी ऐसा ही सोचती थीं। जब उन्होंने देखा कि वे अपने पैसे से आत्मनिर्भर बन सकती हैं तो उनका अपने ऊपर भरोसा बढ़ा।

नया नजरिया

शुरू में उनके पुरुषों ने काफी झगड़ा किया, पर धीरे-धीरे जब वे काफी पैसा कमाने लगीं तब पुरुषों की सोच में भी बदलाव आया। जब मकान बनाए जा रहे थे तब उन्होंने मांग की कि वे भी मकान बनाना चाहती हैं। उन्हें मौका मिला और उन्होंने सफलतापूर्वक मकान बनाए। वे मकान अब उनके नाम हैं। 100 घरों में ज्यादातर घर स्त्रियों के नाम हैं। पुरुषों ने इस स्थिति को मान लिया है जो अपने आप में पुरुषों के बदलते सोच का सूचक है।

('सोशियल वैलफेयर' पत्रिका से साभार)

नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता

सावित्री बाई फुले

बहुत कम लोग जानते हैं कि आज से डेढ़ सौ साल पहले सुश्री सावित्री बाई फुले ने क्रांति की ज्योति जगाई थी। वह और उनके पति श्री ज्योतिराव फुले ने मिलकर न सिर्फ सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरुकता फैलाई, स्वयं भी क्रांतिमय जीवन बिताया।

महाराष्ट्र के सतारा जिले में नामगांव नामक छोटे से गांव में सावित्री बाई का जन्म हुआ था। उनके तीन छोटे भाई थे। वह देखने में सुंदर और मजबूत काठी की थीं। बचपन से वह बहुत निडर और कामकाज में तेज थीं। पिता के घर लाड़-प्यार तो भरपूर मिला, पर उन्हें पढ़ाने-लिखाने का श्रेय उनके पति को है। जब उनका ब्याह हुआ उनकी उम्र 9 साल और उनके पति की 13 साल थी। यह ब्याह साधारण ब्याह नहीं था, समाज-सुधार और समाज-कल्याण की इच्छा रखने वाली दो महाशक्तियों का मिलन था।

उन्होंने 1848 में पूना में लड़कियों का स्कूल खोला। उस समय स्त्रियां तो अलग बात है, पुरुष अध्यापक भी मुश्किल से मिलते थे। ज्योतिराव ने सावित्री बाई को पढ़ाया-लिखाया और दोनों आजीवन नारी शिक्षा, नारी जागृति और नारी उद्धार में लगे रहे।

28 जनवरी 1853 को उन्होंने अपने पड़ोसी, उस्मान शेख के घर 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' बनाया जिसमें दो-चार साल में सौ से अधिक विधवाओं की प्रसूति हुई। पूरा इंतजाम सावत्री बाई देखती थीं। उनकी अपनी संतान नहीं थी, पर विधवाओं की कोख से जन्मे बच्चों की देखभाल और पालन का महान काम उन्होंने किया।

सावित्री बाई के पति के सामने दूसरे ब्याह का प्रस्ताव रखा गया। ज्योतिराव का जवाब था—"यदि पुरुष दूसरी शादी कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती?" लोग चुप रह गए। एक बार वह नदी किनारे टहलने गए। वहां उन्होंने एक गर्भवती को आत्महत्या की कोशिश करते देखा। उसे रोककर उन्होंने कहा—"बेटी! हमारे घर चलो। हम तुम्हारे बच्चे को पाल लेंगे।" सावित्री बाई ने काशीबाई नामक उस विधवा को गले लगा लिया। उसे अपने घर शरण दी और उसके जन्मे बच्चे को गोद ले लिया। उसका नाम यशवंतराव रखा जो बड़ा होकर डाक्टर बना। उसका ब्याह 1889 में हुआ जो महाराष्ट्र का पहला अंतर्जातीय विवाह था।

पंडितों का विरोध

सावित्री बाई जब लड़कियों को पढ़ाने जातीं तो ब्राह्मणों और पंडितों ने उनका कड़ा विरोध किया और उन पर गोबर और पत्थर फेंकते। सावित्री बाई उनसे कहती—"मेरे भाइयो! मैं आपकी बेटियों-बहनों को पढ़ाती हूं। ये गोबर या पत्थर नहीं है, फूल हैं जो मुझे बढ़ावा देते हैं। भगवान आपको सुखी रखे।"

एक बार एक बच्चे का बाप गाली-गलौज करते स्कूल में घुसकर उस बच्चे को पीटना चाहता था जिसने उसके बेटे को मारा था। सावित्री बाई ने पढ़ाना बंद कर उसे समझाया—"बच्चे आज झगड़ेंगे, कल दोस्त बन जाएंगे। आप आज उस बच्चे को मारेंगे, कल उसका बाप आपके बेटे को मारेगा। छोटों का झगड़ा बड़ों में फैलेगा तो अनर्थ हो जाएगा।" जब वह सज्जन फिर भी नहीं माने तो सावित्री बाई ने सख्ती से कहा—"तो फिर मुझे कोई

और रास्ता अपनाना पड़ेगा।' यह सुनकर वह घबरा गए। उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ और वह माफी मांगकर चले गए।

एक बार जब वह स्कूल पढ़ाने जा रही थीं एक कट्टर सनातनी उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उन्हें धमकाने लगा—"यदि तुम लड़कियों और चमारों-कहारों को पढ़ाना बंद नहीं करोगी तो तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी।" आम रास्ते की इस घटना को बहुतों ने देखा-सुना पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सावित्री बाई को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उस बदमाश को दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए। बदमाश बौखलाकर वहां से भाग गया। उसके बाद सावित्री बाई को तंग करने की हिम्मत किसी ने नहीं की।

आदर-सम्मान

1852 में अंग्रेज सरकार ने फुले दंपत्ति को सम्मानित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। वहां सबके बीच ज्योति फुले ने अपनी पत्नी से कहा—"यह गौरव तुम्हारा गौरव है। मैं तो केवल स्कूल खोलने का कारण बना। मुझे गुमान है कि उन स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने में तुम सफल रही हो।"

सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती फुलवंतावाई झोडगे लिखती हैं—"इस देश की महिलाओं में सावित्री बाई प्रथम शिक्षित स्त्री, प्रथम अध्यापिका, भारत की सभी जातियों की प्रथम नेता और छुआछूत का जमकर विरोध करने वाली पहली कार्यकर्ता थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित, खेतिहर मजदूरों की सेवा में लगा दिया।"

डा. एम.जी. माली के शब्दों में "सावित्री बाई का जीवन ऐसी मशाल है जिसके आलोक में भारतीय नारी पहली बार सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना सीखी। सावित्री बाई के कार्य से भारतीय नारी की अनादि काल की जंजीर टूट गई। उसने स्वतंत्र होकर खुली हवा में सांस ली।"

ज्योति राव और सावित्री बाई ने सती प्रथा व विधवा-मुंडन का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने-लिखाने के साथ गरीब औरतों के लिए छोटे उद्योगों का भी इंतजाम किया। 'विधवा पुनर्विवाह' पर विचार करने के लिए हर पंद्रहवें दिन सभा की जाती। उसमें नारी-संबंधी समस्याओं पर विचार किया जाता और उपाय भी सुझाए जाते। सचमुच यह पहला नारी संगठन था और सावित्री बाई नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थीं। वे लेखिका और कवियित्री भी थीं। अपने साहित्य में उन्होंने स्त्रियों को बराबरी का स्थान देने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और गरीबों के उद्धार के लिए आवाज उठाई। नारी आंदोलन से उनका सीधा संबंध है।

डा. माली की पुस्तक 'क्रांति-ज्योति सावित्री बाई फुले' पर आधारित

लड़कियां—आंखों का तारा

विजी श्रीनिवासन

गांव में हर जगह पानी जमा हो गया था। वह भेड़ों को चराने गांव से दूर निकल आई थी। एक भेड़ की पीठ पर टिकी वह नारंगी व बैंजनी बादलों को नीले आसमान पर तैरता देख रही थी। मक्खियां बिवाइयों से फटे उसके जख्मी पैरों पर बैठ रही थीं। वह सोचने लगी कि क्या वह अपने पिता को इस बात के लिए राजी कर लेगी कि कल वह उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उसके जख्मों की मरहम-पट्टी करा दें।

रेशम के ककून से रेशम का तार निकालते हुए वह स्कूल के सपने देखती है। वह स्कूल जिसमें न ब्लैकबोर्ड है और न बैठने के लिए दरी। बस एक प्यारी सी मैडम हैं जिन्होंने उसे पढ़ना-लिखना सिखाया। क्या वह फिर स्कूल जा सकेगी?

वह परेशान सी हो जाती है। उसकी मां ने उसे बताया कि कल उसका ब्याह है। ब्याह का क्या मतलब होता है? क्या जैसे मां का पति उसे मारता-पीटता है, उसका पति भी उसे मारेगा? क्या उसका मतलब पेट फूलकर फटने से होता है? क्या वह अपनी सहेली की तरह मर जाएगी?

शाम होने को आई। वह भूरी, पथरीली, बंजर जमीन पर सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लादे दौड़ रही है। गट्ठर जब-तब गिरने को होता है। उसकी मां पेट से है, वह गट्ठर उठा नहीं सकती। कल घर में ईंधन न होने के कारण उसके भाई-बहन भूख से छटपटाते रहे।

अत्याचार मिटे

लड़कियों के प्रति इतना अत्याचार क्यों? क्या आर्य जब भारत आए थे तब उन्होंने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन पर पहरे बिठाए थे? क्या हिफ़ाजत की आड़ में औरतों को पुरुषों का गुलाम बना दिया गया था? क्या आत्मा की मुक्ति के लिए बेटों द्वारा अर्पण जरूरी था? असली पिता का पता तभी चल सकता था जब औरतों पर कड़ा पहरा हो? धर्म के ठेकेदारों ने औरतों को नापाक करार दिया और उन्हें मर्दों को लुभाने वाली और चरित्र बिगाड़ने वाली का नाम दिया। जैसे-जैसे रुपए-पैसे का महत्व बढ़ा, लड़कों को पूंजी और लड़कियों को जिम्मेदारी समझा जाने लगा।

हम अपनी बेटियों को बेटों के बराबर मानने की ओर बहुत कुछ कर सकती हैं। हम लड़की के जन्म पर लड्डू बंटवा सकती हैं। बराबर की खुशी मना सकती हैं। लड़कियां लड़कों से ज्यादा कमेरी, ज्यादा समझदार, ज्यादा जिम्मेदार और कहीं ज्यादा ममतामयी होती हैं। हम स्वास्थ्य केंद्रों पर दाइयों के प्रशिक्षण प्रोग्राम में लड़की के जन्म पर बार-बार यह बात दुहरा सकती हैं और सरकार पर गांवों में लड़कियों के लिए ज्यादा स्कूल खोलने का दबाव डाल सकती हैं।

जागरुकता पैदा करें

हमें समाज की बुराइयों को उजागर करना होगा। उसकी चर्चा बार-बार करनी होगी। बिहार में 'अदिति' नामक संस्था 200 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाती है। ऐसे और भी केंद्र देश के कई भागों में हैं और अनेकों केंद्र खोले जा सकते हैं। लड़कियों को साक्षर बनाने के साथ खेती, पशुपालन, डेरी, रेशम उद्योग, मछली पालना, खादी ग्रामोद्योग, हैंडीक्राफ्ट बनाने की शिक्षा दी जा सकती है।

हम उन्हें चित्र बनाने के लिए, मिट्टी से कलात्मक चीजें बनाने के लिए, गाने व नाटक खेलने के लिए ज्यादा मौके और सुविधाएं दे सकती हैं।

उन्हें ज्यादा लाड़-प्यार दे सकती हैं। इस तरह हम समाज की सोच बदल सकती हैं। हम ऐसा समाज बना सकती हैं जिसमें बेटियां बेटों के बराबर मां-बाप की आंखों का तारा मानी जाएं। □

उप-कानूनी सहायता

हमारे देश में जहां 90 फी सदी जनता कानून का दर्वाज़ा गरीबी के कारण नहीं खटखटा पाती, मुफ्त कानूनी सहायता की ज़रूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। जिला-स्तर पर कानूनी केंद्र बने हैं, जिन्हें "लीगल एड सेल" कहते हैं, जिनमें सरकार द्वारा मुफ्त सहायता, वकील की फीस और कागजी कार्यवाही के सब खर्च दिए जाते हैं।

पति व ससुराल वालों द्वारा मारपीट, लगातार 6 साल तक एक ही प्लाट पर खेती करने के बाद उसमें खेती करने का हक, 18 वर्ष से कम उम्र में माता-पिता द्वारा दूसरा ब्याह के लिए मजबूर किए जाने पर, कानूनी सहायता वहां मिल सकती है।

पति द्वारा छोड़े जाने पर मुकदमे के दौरान पत्नी और बच्चे गुज़ारा पाने के अधिकारी हैं।

यदि बच्चा पांच साल से कम का है तो मां उसे रख सकती है। उसके लिए मुकदमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कानूनी सहायता केंद्र के वकील उसे कोर्ट आर्डर दिलवाने में मदद करेंगे।

कुछ मिसालें

दिल्ली के कीर्तिनगर में एक लड़की के पिता पूसा संस्थान में क्लर्क हैं। लड़की के पति और ससुर की कीर्तिनगर में ही फर्शी पत्थर और मोजेक आदि की दुकान है। लड़की को उसका पति और ससुरालवाले दहेज को लेकर बहुत तंग करते थे। उसे मारते-पीटते भी थे। उसकी गोद में एक साल का लड़का था। जब उन्हें लगा कि वे लड़की के बाप से और कुछ वसूल नहीं कर सकते तो उन्होंने लड़की को थाने ले जाकर उससे एक कागज पर दस्तखत करा लिए। उसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर जा रही हूं और मैं बच्चे को साथ नहीं ले जाना चाहती। उसके बाद उन्होंने लड़की के पिता को तार दिया कि अपनी लड़की को ले जाओ। तार के जवाब का ज्यादा इंतज़ार किए बिना अगले दिन उन्होंने लड़की को स्कूटर पर बिठाकर उसके मायके पूसा संस्थान भेज दिया और बच्चे को अपने पास रख लिया।

लड़की का पिता तार लेकर कानूनी सहायता केंद्र गया और लड़की के साथ हुए बुरे व्यवहार का ब्यौरा दिया। वकील ने उसी तार के आधार पर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। उसके आधार पर बच्चे को कोर्ट में लाया गया और मां को दिला दिया गया।

मध्य प्रदेश में कुछ लोग आदिवासी कबीले की जमीन हड़पना चाहते थे। उसी की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार भी किया गया। कबीले ने "लीगल एड केंद्र" से कानूनी सहायता ली। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को 50,000 रु० हर्जाना दिलवाया। 5,000 लड़की के अभिभावकों को तुरंत दे दिए गए, बाकी लड़की के नाम बैंक में जमा करा दिए गए।

दिल्ली की एक महिला आनन्द पर्वत के एक मकान में अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। पति की अचानक मृत्यु हो गई। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ी होती मकान मालिक ने पुलिस की सहायता से उसका सामान बाहर निकाल कर उसे सड़क पर खड़ा कर दिया। उसके नौ वर्ष के लड़के को पकड़ कर पुलिस थाने ले गई जहां मारने-पीटने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मां ने कानूनी सहायता केंद्र की मदद ली। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। जज ने आदेश दिया कि मकान मालिक 75,000 रु० मुआवजा दे जो उसे देना पड़ा।

इस तरह की कानूनी सहायता को उप-कानूनी सहायता या "पैरा-लीगल एड" भी कहते हैं जिसमें फैसला भी जल्दी होता है और कानूनी दांव-पेंच के चक्करों से बचा जा सकता है। लोक अदालत और पारिवारिक अदालत में फैसले पार्टियों में समझौते

से कराने की कोशिश की जाती है। कानूनी बंधन कम होने के कारण फैसला जल्दी हो जाता है।

पारिवारिक कोर्ट

पारिवारिक कोर्ट (फेमिली कोर्ट्स) अधिनियम 1984 में पास हुआ था, पर महाराष्ट्र के अलावा अभी यह अन्य कहीं कारगर नहीं हुआ है। पति-पत्नी के आपसी झगड़े, तलाक, गुजारा-भत्ता, बच्चा रखने का हक आदि मामलों की सुनवाई अलग अदालत में सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में हो सके तो अच्छा होगा। असली उद्देश्य समाज की व्यवस्था बनाए रखना और व्यक्तियों को कष्ट से बचाया जाना है। पारिवारिक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य परिवार को बचाना है। यदि संबंध इस हद तक खराब हो गए हैं कि समझौते की गुंजाइश नहीं बची तो तलाक की स्थिति का भी रास्ता निकालना है।

पारिवारिक कोर्ट के तहत ये मामले आते हैं:—
1. विवाह संबंधी 2. शादी कानूनी है या नहीं, 3. पति-पत्नी की संपत्ति का बंटवारा 4. किसी एक का दूसरा ब्याह कर लेना या बिना पूछे संयुक्त या दूसरे की संपत्ति बेचना 5. गुजारा-भत्ता संबंधी 6. नाबालिग बच्चों को संरक्षण 7. पत्नी, बच्चों और माता-पिता को गुजारा भत्ता न देना।

यदि पति-पत्नी में इस संबंध में समझौता हो जाए तो जज औपचारिक मुकदमे बिना फैसला दे सकता है। कोई भी पारिवारिक अदालत तब तक कारगर ढंग से काम नहीं कर सकती जब तक कि उसकी सहायता के लिए सहायक सेवा नहीं होगी। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं और महिला समितियां बहुत उत्तम हैं।

इन अदालतों को उन भागों में भी काम करना होगा जहां इनकी सख्त जरूरत है। वे हैं हमारे गांव। यदि वे महाराष्ट्र में काम कर सकती हैं तो देश के अन्य भागों में क्यों नहीं?

कानूनी जानकारी

देश में कानून की असफलता का मुख्य कारण कानूनी जानकारी की कमी है। गांवों में स्त्रियों को जानकारी देने की बहुत जरूरत है। इसके लिए कभी-कभार गांवों में कैंप लगाना काफी नहीं है। उनमें कई बार स्त्रियों को उनके घरवालों द्वारा जाने की इजाजत ही नहीं मिलती है। औरतों को पारिवारिक सलाह-मशविरे के लिए उत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपनी बात खुल कर कह सकें। उनमें इस जानकारी से हिम्मत आएगी कि कानूनन वे सही हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने पर कानून उनकी मदद करेगा। जब तक कानूनी मशीनरी या नियम का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक उनकी उपयोगिता और कमियों की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तब तक उन्हें सुधारा भी नहीं जा सकेगा।

औरतों पर शारीरिक और मानसिक यातनाओं के अनेक केस महिला समितियों के पास आते हैं। श्री फकीर चंद और श्रीमती निर्मला ने 25 वर्ष तक वैवाहिक जीवन बिताया। पति की ज्यादतियों से तंग आकर निर्मला ने संबंध तोड़ना चाहा। जब समिति ने देखा कि समझौता संभव नहीं है तब उसने पति से 65,000 रु. निर्मला को मुआवजे का आदेश कोर्ट से दिलवाया और मायके से लाई दहेज की सब चीजें भी दिलवा दीं।

सुधा गोयल नाम की बहू की हत्या पति और सास ने मिलकर कर दी। नीचे की अदालत में फैसला पति और सास के खिलाफ हुआ पर हाईकोर्ट में वे अपील जीत गए। महिला संस्थाओं ने विरोध किया। महिला दक्षता समिति ने कुछ महिला संगठनों की मदद से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जहां से पति व सास को आजीवन कैद की सजा मिली।

यह सच है कि बहुत कम मामलों में सफलता मिल पाती है, पर यह भी सच है कि बहुत कम मामलों में कानूनी सहायता ली जाती है। जितनी जरूरी शिक्षा है उतनी ही जरूरी कानून-संबंधी जानकारी है। तभी औरतों को उनके अधिकार मिल सकेंगे।

ऊपर दिए केसों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट वकील सुश्री उमिला कपूर व महिला दक्षता समिति की रपटों से साभार।

आठ मार्च : हम औरतों का त्यौहार

कमला भसीन

आठ मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको शुभकामनाएं।

हम सब औरतों को हमारा अपना दिन यानी आठ मार्च मुबारक।

चलो, कम से कम एक दिन तो हम औरतों का हुआ। पर आठ मार्च का नारा पता है क्या है ? आठ मार्च का एक नारा है—

आठ मार्च का है यह नारा
साल का हर दिन हो हमारा

बात बिलकुल ठीक है। सिर्फ़ एक दिन अपना बना लेना काफ़ी नहीं है। औरतों को तो हर दिन अपना बनाना होगा। विकास की तरफ़, आज़ादी की तरफ़ हर दिन कदम बढ़ाने होंगे। हर दिन मांग करनी होगी बराबरी की, न्याय की, खुशहाली की।

धीरे-धीरे आठ मार्च दुनिया भर में औरतों के दिन के रूप में मनाया जाने लगा है। दुनिया के हर देश में आठ मार्च को औरतें व कई जगहों पर औरतें व मर्द इकट्ठे महिला दिवस मनाते हैं। आठ मार्च एक नया त्यौहार बन गया है। नये जमाने का नया त्यौहार। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी त्यौहार बन चुके हैं। हम सब आज़ादी के इन दिनों को गांव-गांव, शहर-शहर में मनाने लगे हैं।

आठ मार्च जैसा एक और दिन जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है वह है मज़दूरों का दिन जो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को पूरी दुनिया के मेहनतकश औरतें और मर्द मज़दूर एकता बढ़ाने की क़समें खाते हैं, दुनिया भर में शोषण ख़त्म करने के वादे करते हैं। मज़दूरों का एक बहुत सुंदर नारा है जो मैं यहां सुनाना चाहती हूं—

हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे
एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे

पूरी दुनिया में जब मज़दूरों का दिन या औरतों का दिन मनाया जाता है तो एक बात जो साफ़ होती है वह है कि दुनिया भर में ही औरतों और मज़दूरों का शोषण होता है, उन पर जुल्म होते हैं, उनके हक़ मारे जाते हैं, उनके साथ न्याय नहीं होता। इस शोषण और अन्याय की शक्ल और तरीक़े अलग-अलग देश में अलग-अलग हो सकते हैं। इस शोषण की मात्रा अलग-अलग हो सकती है पर शोषण और अन्याय अभी भी हर जगह है। समस्याएं हर देश में हैं।

पूरी दुनिया में जब हम महिला दिवस और मज़दूर दिवस मनाते हैं तो हम हर देश के मज़दूरों और औरतों के साथ जुड़ जाते हैं। एक सी आवाज़ जब हर जगह से उठती है तो उस आवाज़ की ताकत बढ़ जाती है। उस आवाज़ को उठाने वालों की ताक़त और हिम्मत बढ़ जाती है। उम्मीद भी बढ़ जाती है। लगता है अगर पूरी दुनिया में एक सी आवाजें उठ रही हैं तो ज़रूर कुछ बदलेगा।

इन नये त्यौहारों का एक मज़ा और है। महिला दिवस, मज़दूर दिवस ऐसे त्यौहार हैं जो किसी ख़ास जाति, धर्म और देश के साथ नहीं जुड़े। महिला दिवस किसी तबके या वर्ग के साथ भी नहीं जुड़ा। इसे हर जाति, हर धर्म, हर देश के लोग मनाते हैं। ये त्यौहार जाति, धर्म, देश, विचारधारा सब बंधनों को तोड़ते हैं। ये एक नई मानवता को जन्म देते हैं। नये रिश्ते बनाते हैं। पूरी दुनिया को ये एक परिवार सा बना देते हैं।

आठ मार्च

नाचें और गाएं खुशियां मनाएं
है दिन अपना
आओ बहनो, मिल के मनाएं
हम दिन अपना

है यह आठ मार्च का नारा
खुशियों पे हक़ है हमारा

है यह आठ मार्च का नारा
होगा शोषण अब ना हमारा

है यह आठ मार्च का नारा
जायदाद पे हक़ हो हमारा

है यह आठ मार्च का नारा
हो बहनों में बहनचारा

है यह आठ मार्च का नारा
बुलंद होगा अपना सितारा

नारी का है यह भी नारा
जल्दी राज करे सर्वहारा

सारी दुनिया दिन यह मनाती
नारी संघर्ष के गीत है गाती

पांच साल पहले आठ मार्च के दिन मैं इटली देश की राजधानी रोम में थी। पता लगा कि रोम की औरतें अपना दिन मना रही हैं। मुझे किसी न्योते की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आठ मार्च अगर उनका दिन था तो मेरा भी था, हर औरत का था। मैं जब आठ मार्च के जुलूस में पहुंची तो हैरान रह गई। कितना बड़ा जुलूस था। पचास हज़ार के लगभग औरतें थीं। जुलूस का अंत नहीं दिखता था। अपने-अपने झंडे और बैनर लिए, अपने-अपने नारे लगातीं, अलग-अलग संस्थाओं, समूहों की औरतें चली जा रही थीं। पूरा शहर उनके नारों से गूंज रहा था। मेरा दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इस जुलूस में शामिल हर औरत मुझे अपनी साथिन लग रही थी। मैं सोच रही थी कि दिल्ली में भी अगर हज़ारों औरतें आठ मार्च को इकट्ठी हों तो कितना मज़ा रहे।

दिल्ली में आठ मार्च हर साल मनाया जाता है पर अभी पचास हज़ार औरतें जुलूस में नहीं आतीं। आएंगी, धीरे-धीरे ज़रूर पचास हज़ार आएंगी।

इस साल आठ मार्च को दिल्ली के जुलूस में हज़ार, दो हज़ार स्त्रियां और पुरुष थे। खूब जोश था, खूब उमंग थी। नारे लग रहे थे, गाने गाए जा रहे थे। जुलूस ने संसद भवन के चारों तरफ हाथ पकड़ कर घेरा बनाया। प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह को इस जुलूस ने अपनी मांगें दीं। इस जुलूस में शामिल हर औरत ने शपथ खाई। वह शपथ थी—

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम भारतीय महिलाएं शपथ लेती हैं कि हम समानता, न्याय व शोषण से मुक्ति के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगी।

हम प्रतिज्ञा करती हैं कि हम स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करेंगी और सभी प्रकार के साम्प्रदायिक, जातिवादी, कट्टरपन्थी तथा अन्य विघटनकारी शक्तियों का सामना करेंगी।

हम शपथ लेती हैं कि हम स्त्री-पुरुष व अमीर-गरीब के बीच समानता स्थापित करके अपनी मानवीय क्षमता समाज के सामूहिक विकास के लिए समर्पित करेंगी।

एक साथ खाई इस शपथ ने हम सैंकड़ों लोगों को जोड़ा, हमें संघर्ष के लिए झकझोरा, हमें चेतन होने को ललकारा।

ऐसे ही छोटे बड़े जुलूस अन्य शहरों, गांवों और बस्तियों में निकले थे। ये जुलूस हमें उन औरतों के साथ भी जोड़ते हैं जो अभी इन जुलूसों में शामिल नहीं हो पातीं।

इस बार महिला दिवस पर मैंने एक नया गाना लिखा—बालिका पर। 1990 हमारे देश में और हमारे छः पड़ौसी देशों में (पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालद्वीप व भूटान) बालिका वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस गाने में बेटी के पैदा होने का जश्न मनाया जा रहा है, बेटी को शक्ति, आज़ादी, उल्लास दिया जा रहा है।

महिला दिवस के बारे में तीन गाने और इस अंक में दे रहे हैं, और दे रहे हैं बहुत से नारे।

अगर आपने कभी नारा नहीं लगाया तो ज़रा लगाकर देखो। बहुत ही मज़ा आता है। पर नारा अकेले तो नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए तो और औरतों के साथ मिलना पड़ेगा। किसी संगठन, समूह, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में शामिल होना पड़ेगा। तो इस महिला दिवस के मौके पर क्यों न हम एक शपथ लें—हम सब एक दूसरे को सहारा देंगी, एक दूसरे की शक्ति बढ़ाएंगी और शक्ति बढ़ाने के लिए इकट्ठा होंगी, छोटे-बड़े समूह बनाएंगी। □

बड़ा मज़ा आए

अपना दिन हम मनाएं तो बड़ा मजा आए
इसे त्यौहार बनाएं तो बड़ा मजा आए
सखियां मिल जुल गाएं तो बड़ा मजा आए
मौज मस्ती मनाएं तो बड़ा मजा आए

संग सखिअन हम मेले में जाएं
अपने जीवन में रौनक बढ़ाएं
चूल्हा चौका भुलाएं
तो बड़ा मजा आए

संग सखिअन हम पींगें चढ़ाएं
सारे पिंजरों से पीछा छुड़ाएं
हम भी पर फैलाएं
तो बड़ा मजा आए
हम सब ऊंची उड़ पाएं
तो बड़ा मजा आए

संग सखिअन कानूनवा बनाएं
हक़ बराबर के सबको दिलाएं
जायदाद बेटी भी पाए
तो बड़ा मजा आए
बिटिया मालिक बन जाए
तो बड़ा मजा आए

पैसा कमाने नौकरिआ को जाएं
थक कर जब घर वापिस आएं
बलम खाना खिलाएं
तो बड़ा मजा आए

संग सखिअन नए धर्म बनाएं
करवाचौथ बलम भी मनाएं
सजनवा मांग भर लें
तो बड़ा मजा आए

संग सखिअन नई दुनिया बनाएं
जहां बेटी कभी न मुरझाए
बिटिया खिल खिल जाए
तो बड़ा मजा आए

आज फिर से औरत उठ खड़ी हो रही है वह अंधेरे को फाड़कर निकल रही है

आज फिर से औरत उठ
खड़ी हो रही है
वह अंधेरे को फाड़कर निकल रही है

समय की निर्मम शक्ति में से
उभरते हुए,
जो अपने शरीर में
अपने मन में
अंधेरे और आतंक को जानती है

हर युग में समय-समय पर हमारे यहां ऐसी औरतें हुई हैं जिन्होंने आज़ादी और आत्म-सम्मान के लिए निडरता के साथ संघर्ष किया जो व्यक्तिगत रूप से सामने आ खड़ी हुईं।

पिछले दिनों एक लहर आई है जैसा कि एक नज़र डालने से पता चलता है।

बंबई में राज्य विधान सभा के आगे प्रतिवाद करती हुईं
जुलूस में शामिल धुलिया की आदिवासी महिलाएं ।

केरल से लेकर कानपुर तक आर्थिक समानता के लिए
आंदोलनरत मजदूर वर्ग की महिलाएं ।

अपने अधिकारों के लिए
संघर्ष कर रहीं मध्यम वर्ग की महिलाएं
गृहिणियां, शिक्षिकाएं, क्लर्क और दूसरी
कामकाजी
औरतें

आवास के अधिकार के लिए
वैवाहिक अधिकार के लिए

उपभोक्ता के अधिकारों के लिए
ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए
मौलिक अधिकारों के लिए
पेयजल और शौचालय से लेकर
भोजन और आवास की मौलिक
सुविधाओं के अभाव जैसे मुद्दों
पर अपने को संगठित करती हुईं ।

चावल और तेल, चीनी और ईंधन
प्याज और दाल जैसी अनिवार्य
वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के
खिलाफ़ अपने को संगठित करती हुईं ।

मद्रास की झोपड़-पट्टियों की
औरतें पेयजल की कमी के खिलाफ
खाली घड़ों को हाथ में लिए
सड़कों को जाम करती हुईं ।

गढ़ चिरौली की आदिवासी
महिलाएं इंचमपल्ली बांध और
उसके द्वारा उनका जीवन अस्त व्यस्त
किए जाने के खिलाफ़
प्रतिवाद करती हुईं ।

दिल्ली की अभिजात आधुनिक
कालेज छात्राएं अपने पुरुष साथियों
द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ़
विरोध करती हुईं ।

महिला पत्रकार अखबारों
और पत्र-पत्रिकाओं में महिलाओं के यौन
चित्रण के खिलाफ अभियान चलाती हुईं ।

महिला अधिवक्ताएं महिला कैदियों
के हालात का अध्ययन करने के लिए जेल में
जाने देने के लिए आंदोलन करती हुईं ।

मजदूर वर्ग की महिलाएं दारुबंदी
के क़ानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए
सड़कों पर अभियान चलाती हुईं ।

शहरों में रोज आनेजाने वाली
महिलाएं बसों और उपनगरीय रेल गाड़ियों में औरतों से छेड़छाड़ करने वालों के प्रति
प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ प्रतिवाद करती हुईं ।

बारली जनजाति की महिलाएं
कम्यूनिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ
मिलकर प्रदर्शन करती हुईं ।

महिला संगठन संसद के समक्ष सख्त बलात्कार और
दहेज विरोधी कानून की मांग करते हुए।
दबानेवाले निजी कानूनों के खिलाफ़
काम की जगह पर भेद-भाव के खिलाफ़
पत्र-पत्रिकाओं में अश्लीलता के खिलाफ़
मर्यादा और व्यक्ति की गरिमा के लिए।

यूनियन कार्बाइड गैस कांड
से पीड़ित महिलाएं न्याय के लिए संसद के समक्ष आन्दोलन करती हुईं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं अपने हक़ों पर जोर देती हुईं।

महिलाएं नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए मुद्दों पर आधारित संघर्षों में पुरुषों के साथ मिलकर भाग लेती हुईं।

पर्यावरण रक्षा के लिए
साम्प्रदायिक हिंसा के खिलाफ़
शस्त्रीकरण (परमाणवीकरण) के खिलाफ़
महिलाओं के अधिकारों के लिए
मानवीय अधिकारों के लिए।

पिछले दो दशकों में मणिपुर से गुजरात तक, कश्मीर से केरल तक देखा गया है कि भारतीय समाज के हर स्तर की, हर क्षेत्र, वर्ग, जाति, धर्म और भाषा की महिलाएं—छात्राएं, मजदूर, आदिवासी, किसान, वृद्ध और तरुण, शहरी और ग्रामीण, शिक्षित और निरक्षर हर कोई अधिकाधिक परम्परा की सुरक्षा के दायरे से निकल कर आ रही हैं और समाज के नियमों को नया रूप देने के लिए, विरोध में खड़ी दुनिया का सामना कर रही हैं।

इन महिलाओं की आवाजें

हमारी सड़कों पर
हमारी अदालतों और विधान सभाओं में
हमारे अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं में
हमारी विकासशील चेतना में गूंजने लगी हैं।

—चंद्रलेखा द्वारा बनाई 'स्त्री-कथा' नाम की प्रदर्शनी की
स्क्रिप्ट के कुछ अंश
साभार : जागोरी

महिला शक्ति के नए आयाम

आज की नारी घर की चार दीवारी से निकलकर अनेक नई दिशाओं में कदम बढ़ा रही है। इनमें से एक क्षेत्र 'पुलिस सर्विस' का है। कांस्टेबिल से उच्च पुलिस अधिकारी तक के पदों पर औरतें पहुंच चुकी हैं।

1972 में सुश्री किरन बेदी पहली महिला पुलिस अफसर बनीं। तब से संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सर्विस के 1988 के समूह में 125 अफसरों में 7 औरतें थीं। उनकी ट्रेनिंग पुरुषों के साथ ही होती है। कठिन मानसिक व शारीरिक प्रशिक्षण में औरतें खरी उतरी हैं।

महिला पुरुष अफसरों ने ट्रेनिंग में और उसके बाद कार्य-प्रदर्शन में निःसंदेह साबित कर दिया है कि वे शारीरिक मजबूती, कानून और व्यवस्था की चुनौतीपूर्ण स्थिति, अपराध रोकने व जांच-पड़ताल आदि कार्यों में पुरुषों से पीछे नहीं हैं।

महिला पुलिस पुरुषों से एक कदम आगे बढ़कर समाज कल्याण कार्य भी कर रही हैं। जब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्वयंसेवी कार्य ब्यूरो की स्थापना औरतों के प्रति अपराध, दहेज व अन्य कारणों से उन पर अत्याचार रोकने के लिए की तो कई उच्च महिला पुलिस अधिकारी उससे जुड़ गईं। सुश्री किरन बेदी ने अपराधियों के परिवारों और अपराधियों की पुनर्स्थापना के लिए विशेष कार्य किया। उन्होंने नशाबंदी कम करने की दिशा में भी कार्य किया। यहां तक कि देश के अनेक स्थानों पर धतूरे के पौधों को नष्ट करने का काम किया।

उड़ीसा के एक गांव के मुखिया ने एक पुलिस अफसर से बदला लेने के लिए उसकी बेटी की हत्या कर दी। कुछ महीने तक कार्यवाही आगे न बढ़ पाई, फिर डी.आई.जी. के आदेश से सब-इंस्पैक्टर श्रीमती शांति देवी चूड़ी बेचने वाली का भेष बनाकर गांव में आई और अपराधी को पकड़वाने में सफल हुई।

उड़ीसा में ही एक अन्य मामले में सी.आई.डी. की अपराध शाखा की एक महिला पुलिस अफसर ने लड़कियों से वैश्यावृत्ति कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह यहां से लड़कियां पंजाब के गुरदासपुर जिले में ले जाकर बेच देता था जहां उनसे वैश्यावृत्ति कराई जाती थी। पांच लड़कियों को छुड़ाकर उनके घर पहुंचाया गया। महिला पुलिस अधिकारियों ने इन लड़कियों को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में भी मदद दी। कुछ लड़कियों की शादी भी कराई जो अब सुखी वैवाहिक जीवन बिता रही हैं।

जुल्मों के ख़िलाफ़

स्त्रियों पर बढ़ती हिंसा के कारण महिला पुलिस बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आए दिन थानों तक में उन पर हुए अत्याचार व बलात्कार की खबरें आती रहती हैं। पिछली 4 नवंबर 1989 को एक सब-इंस्पैक्टर और दो कांस्टेबिलों को नौकरी से मुअत्तल करने की खबर छपी, क्योंकि उन्होंने पुलिस थाने के पूछताछ वाले कमरे में निर्मला नामक स्त्री के साथ बलात्कार किया।

मध्यप्रदेश के एक गांव की लड़की निर्मला सात महीने पहले दिल्ली आई थी। वह हरीराम नामक व्यक्ति के साथ, जो धौलाकुआं के एक ढाबे में काम करता है, रहती है और कई घरों में काम करती है। 1 नवंबर को पुलिस ढाबे में किसी झगड़े का

निबटारा करने आई और कई लोगों को गिरफ्तार कर ले गई। अधिकतर लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया, पर निर्मला को उन्होंने रोक लिया और फिर यह घटना घटी।

इस तरह की घटनाएं देश के अनेक भागों में होती रहती हैं। भय से गांववाले रपट नहीं लिखवाते हैं और स्त्रियां जुल्म सहती रहती हैं।

भारत में औरतें पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं, पर उनकी संख्या अभी नहीं के बराबर है। समूचे देश में पूरी पुलिस फोर्स में सिर्फ 0.04 प्रतिशत औरतें हैं, जबकि हर गांव, हर शहर और थाने में महिला पुलिस की जरूरत है।

1939 में भारत में पहली बार केरल में महिला पुलिस फोर्स की स्थापना हुई। 12 महिला पुलिस कांस्टेबिल और उनकी एक हैड कांस्टेबिल थी। केरल के ही कालीकट नगर में 28 अक्तूबर 1973 को भारत का, शायद विश्व का, पहला महिला पुलिस थाना खुला जिसमें सब औरतें थीं। एक औरत सब-इंस्पैक्टर, 2 औरतें हैड कांस्टेबिल और 10 औरतें कांस्टेबिल थीं।

राजस्थान में पहला और भारत में तीसरे नंबर का पूरी तरह औरत पुलिस थाना 1989 के शुरू में जयपुर के गांधीनगर क्षेत्र में खुला है। धौलपुर व अन्य स्थानों पर भी महिला पुलिस थाने खोलने की योजना है। स्त्री अपराधियों को पकड़ने के अलावा वे महिला संगठनों की कल्याण-योजनाओं से भी जुड़ी रहेंगी और औरतों की समस्याओं को सुलझाने की भी कोशिश करेंगी।

देश की आजादी के तुरंत बाद 1948 में पंजाब में 7 महिला पुलिस सब-इंस्पैक्टर और 35 महिला कांस्टेबिलों की भर्ती की गई। अब हर राज्य में कमोबेश महिला पुलिस विभाग है। उत्तर प्रदेश के पांच प्रमुख नगरों—लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और आगरा में 1974 में महिला पुलिस विभाग खुले। राजस्थान में 1960 में, हरियाणा में 1966 में, तमिलनाडु में 1973 में, प० बंगाल में 1960 में और दिल्ली में 1948 में महिला पुलिस विभाग काम करने लगे।

स्त्री पुलिस के काम

निचले पुलिस ओहदों पर स्त्री पुलिस को ये काम करने होते हैं :—

1. स्त्रियों और बच्चों पर किए अपराधों की जांच।
2. लापता स्त्रियों और बच्चों को ढूंढने का काम। वैश्यालयों से नाबालिग लड़कियों को छुड़ाना और उन्हें नारीगृहों में पहुंचाना और अपहरण की गई स्त्रियों और बच्चों को छुड़ाना।
3. गुप्त सूचनाएं जमा करना।
4. बच्चों व महिला अपराधियों से पूछताछ करना।
5. अपराधी स्त्रियों और बच्चों को गिरफ्तार करना, उनकी तलाशी लेना और उनके साथ थाने जाना।
6. हवाई अड्डों पर औरतों की सुरक्षा जांच करना।
7. स्त्रियों और बच्चे यात्रियों की हवाई अड्डों, बड़े रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर सहायता करना।
8. सीमा चैक पोस्टों पर स्त्रियों की तलाशी लेना।
9. मेलों, त्यौहारों और तीर्थ-स्थानों पर स्त्रियों और बच्चों की सहायता करना।
10. स्त्रियों द्वारा धरना और राजनैतिक व श्रमिक प्रदर्शनों में महिला प्रदर्शनकारियों से बरतना।
11. स्त्रियों की मीटिंगों और जुलूसों में व्यवस्था रखना।
12. उच्च पदाधिकारियों की सुरक्षा का भार।
13. पारिवारिक खोज और घरों में तलाशी आदि।
14. भागी हुई लड़कियों, स्त्रियों और वैश्याओं को फिर से बसाने में सामाजिक संगठनों और प्रोबेशनरी अधिकारियों की मदद करना।
15. स्त्रियों और बच्चों की सड़क पार करने में सहायता करना।

16. पुलिस महिलाओं को लोक सेवा कार्य भी सौंपे जाते हैं जिन्हें उन्होंने बखूबी किया है।

कई साल पहले जस्टिस कृष्णा अय्यर के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि पुलिस विभाग में और ज्यादा स्त्रियों की भर्ती की जाए और यह भी कहा था कि उनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाए। महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामलों में महिला पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस महिलाओं की ट्रेनिंग पुरुषों की तरह ही होनी चाहिए जिससे वे पूरी क्षमता से काम कर सकें।

पांच साल पहले पुलिस खोज और विकास ब्यूरो ने थानों में महिला विभाग की जरूरत बताई थी, खासकर औरतों पर हुए अत्याचार के मामलों में। ब्यूरो ने सुझाव दिया था कि सताई औरतों के स्वयं थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाने के बजाए दस्ती या 'तुरंत डाक सर्विस' से थाने में रपट भेजने की व्यवस्था चालू की जाए। उस रपट को प्राथमिक सूचना (एफ.आई.आर.) मानी जानी चाहिए। देश के कुछ भागों में समिति की रिपोर्ट मानकर उसके अनुसार काम होने लगा है। दिल्ली में स्त्री अपराध विभाग की महिला पुलिस पति और पत्नी के बीच समझौता कराने का काम कर रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस में स्थित लीगल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह और वकील मुहैया किए जाते हैं।

जितनी अधिक स्त्रियां पुलिस में भर्ती होंगी, उतनी ही अधिक वे अपनी रक्षा कर पाएंगी और कमजोर औरतों की रक्षा कर सकेंगी।

पैरा-मिलिटरी बटालियन

1987 में देश का पहला पैरा-मिलिटरी बटालियन बना जिसमें औरतें भी शामिल की गईं। दिल्ली की कांता और हरियाणा की सुशीला (जो विधवा हैं) का कहना है कि भर्ती के बाद घर और बाहर दोनों स्थानों पर उनका सम्मान बढ़ा है। पहले उन्हें घर में इज्जत नहीं मिलती थी। उत्सव और खुशी के अवसरों पर उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, पर अब उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है।

उनकी ट्रेनिंग पुरुषों के साथ समान रूप से हुई। वे 2 क्विंटल गेहूं का बोरा 20 गज दूर तक उठाकर ले जाती हैं। जब मई 1987 में मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हुए तब इन्हें अपनी कार्यक्षमता दिखाने का अवसर मिला। उनकी ट्रेनिंग तभी खत्म हुई थी। स्थानीय प्रशासन उन्हें वहां भेजने में हिचक रहा था। वहां पहुंचने पर भी दो दिन तक उन्हें रिजर्व पुलिस में थाने पर रखा गया, पर तीसरे दिन सेना ने घरों की तलाशी के सिलसिले में उनकी मदद मांगी। पहले दिन ही इन्होंने हाशिमपुरा क्षेत्र में जहां दंगे शुरू हुए थे, दो राइफिलें बरामद कीं। उनके रहने से तलाशी का काम ज्यादा अच्छी तरह और शांतिपूर्ण ढंग से हो सका। घरवालों को भरोसा था कि जोर-जबर्दस्ती या गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा।

उसी दिन जब वे तोपखाना बाजार से घरों की तलाशी लेकर वापिस आ रही थीं, उनमें से एक की नजर अकेली जगह पड़े लोहे के एक बक्से पर पड़ी। उन्होंने जब ताला तोड़ने की धमकी दी तब घर के नौकर ने चाभी लाकर दे दी। बक्से में से 12 बड़ी बंदूकें, दो दूरबीनी राइफिलें, एक पिस्तौल, चार टाइम बम, पांच पासपोर्ट और काफी गोलियां और बारूद बरामद हुआ। एक मौहल्ले में एक लड़के ने उनके साथ कुछ बदतमीजी की तो उनके डांटने पर वह खिसियाकर भाग गया और अपने साथियों से जाकर बोला कि महिला पुलिस की डांट खाना पुरुष पुलिस की मार से ज्यादा खराब है।

श्री लंका में भी महिला बटालियन का एक दस्ता पुरुषों के साथ गया और वहां भी वह परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुआ है।

—केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'सोशियल वैलफेयर' के लेख पर आधारित

एक अंधविश्वास

तीन बेटों के बाद जन्मी बेटी (तेंतर) की कहानी

हमारे देश में अंधविश्वासों की कमी नहीं है। तेंतर यानी तीन बेटों के बाद बेटी का जन्म अशुभ होता है, यह अंधविश्वास उत्तर भारत में प्रचलित है। प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानी तेंतर पर आधारित यह संक्षिप्त प्रस्तुति है। हमें इन अंधविश्वासों से छुटकारा पाना है।
—संपादिका

आखिर वही हुआ जिसका डर था। तीन लड़कों के बाद लड़की जन्मी। मां सौर में सूख गई, बाप बाहर आंगन में सूख गए और बूढ़ी दादी सौर के दरवाज़े पर बुड़बुड़ा रही थी—"अनर्थ, महाअनर्थ, भगवान ही कुशल करे। यह बेटी नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था तो कुछ साल पहले आ जाती या फिर न आती।"

दामोदर दास पढ़े-लिखे आदमी थे और सरकारी नौकरी करते थे, पर मन में जमे संस्कारों को कैसे मिटा देते। पता नहीं नई जन्मी लड़की मां को लेकर जाएगी या बाप को या अपने आप को। दादी लड़की को कोसने लगी—"कलमुंही है, किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते।"

दामोदर दास दिल में तो घबराए हुए थे, पर अपनी मां को समझाने लगे—"तेंतर-वेंतर कुछ नहीं। भगवान चाहेंगे तो कुशल ही होगी। गानेवालियों को बुलवा लो वरना पड़ोसी और बिरादरी वाले कहेंगे कि लड़के होने पर तो बहुत इतराते थे, अब लड़की हुई तो सन्नाटा छा गया।"

दादी—"बेटा! तुझे याद नहीं। तेरे दादा तेंतर के जन्मते ही मरे थे। तब से तेंतर के डर से मेरा कलेजा कांप उठता है।"

दामोदर—"इस कष्ट का कोई उपाय तो होगा?"

दादी—"पंडित कुछ उपाय बता देते हैं, पर उससे कुछ होता-हवाता नहीं है।"

दादी नहीं चाहती थी कि बेटे का पैसा खर्च हो। बोली—"लड़की तंदुरुस्त है। रंग गोरा है, लंबी नाक है। नहलाते समय रोई भी नहीं, ये अच्छे लक्षण नहीं हैं।"

दामोदर—"गाना बजाना न करवाने से कष्ट मिट तो नहीं जाएगा।"

दाई (सौर से)—"बहूजी कहती हैं कि गाना-वाना कराने की जरूरत नहीं है।"

दादी—"उससे कहो, चुप रहे। वह देवी-देवता पूजने नहीं गई, तभी तो यह हुआ। दादी ने मन मारकर गानेवालियों को बुला लिया और पड़ोसिनों को भी।

तीनों भाइयों के मन में बड़ा चाव था। उन्हें गुड़िया जैसी बहन मिल गई थी। सब रस्में हुईं पर खुशी से नहीं। लड़की दिनोंदिन कमज़ोर होती गई। मां उसे दोनों समय अफीम खिला देती ताकि वह रोए नहीं। उसे सिर्फ थोड़ा ऊपरी दूध दिया जाता। बच्ची की मां को दूध मुश्किल से उतरता था पर हर बार जन्मे लड़के को प्यार से छाती से लगाती तो दूध उतर ही आता था। इस बार उसने कोशिश नहीं की। बड़ा भाई उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता तो मां झिड़क देती।

तीन-चार महीने हो गए। एक दिन रात को दामोदर दास पानी पीने उठे तो देखा बच्ची जगी है और अपना अंगूठा चूस रही है। उसका मुंह मुर्झाया हुआ था, पर वह रोती न थी। बाबू साहब को उस पर दया आई। उन्होंने उसे उठाकर प्यार किया और दूसरे दिन सुबह उठाकर बाहर लाए।

पड़ोसी की बकरी सामने मैदान में चर रही थी। उन्होंने बड़े लड़के से कहा—"सिद्धू ! बकरी को पकड़ ला। इस बच्ची को दूध पिलाएंगे।"

बच्चों को खेल हो गया। वे तुरंत बकरी पकड़ लाए। पिता ने बच्ची का मुंह बकरी के स्तन से लगा दिया। बच्ची दूध पीने लगी। उसका मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी भूख मिटी थी। वह पिता की गोद में हाथ-पैर चलाकर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया-कुदाया। सिद्धू उसे दिन में दो-तीन बार दूध पिलाने लगा। बच्ची की मां उसे देखकर ताज्जुब करती। किसी से कुछ कह तो सकती नहीं थी, पर दिल में डरती रहती कि अब बच्ची तो मरेगी नहीं। हमीं में से किसी के सिर पड़ेगी।

सास ने एक दिन बहू को उलाहना दिया—"तुम कुछ नहीं करोगी तो कौन करेगा ?"

बहू—"अम्मा जी ! भगवान जानता है जो मैं इसे दूध पिलाती हूं !"

सास—"मैं मना थोड़े ही करती हूं। मुफ्त में अपने सिर पाप क्यों लूं ?" पर दादी की चिंता मां से ज्यादा थी। उसे लगता जैसे सांप पाला जा रहा है। वह बच्ची को आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। उसके मन में यह बात उठने लगी कि कुछ हो जाए वरना बहू सोचेगी कि मैं झूठ बोलती थी। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर यह जरूर चाहती थी कि कुछ अमंगल हो जाए।

बच्ची की मां का प्रेम उससे धीरे-धीरे बढ़ने लगा। मन में मनाती किसी तरह साल कट जाए तो बला टल जाएगी। पति और बच्चे का बेटी के प्रति प्रेम देखकर उसे भी बढ़ावा मिलता पर दिल मसोस कर रह जाती, खुले रूप से प्यार नहीं कर पाती थी। न हंसते बनता था, न रोते।

इस तरह दो महीने और बीत गए। कुछ अमंगल नहीं हुआ। अब सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। सोचती, बहू को चार दिन बुखार भी नहीं आया, न बहू के मायके से कोई बुरा समाचार आया। आखिर में अपनी शंका साबित करने के लिए उसने एक तरकीब सोची। एक दिन दामोदर दास दफ्तर से आए तो देखा मां खाट पर बेहोश पड़ी है और पत्नी अंगीठी की आग से सास की छाती सेंक रही है।

घबराकर पूछा—"अम्मा को क्या हुआ ?"

पत्नी—"दुपहर से कलेजे में दर्द बताती हैं। बहुत तड़प रही हैं।"

दामोदर—"मैं डाक्टर को बुला लाऊं ? देर करने से शायद बीमारी बढ़ जाए। अम्मा ! कैसी तबियत है ?"

बूढ़ी ने कराहते हुए आंख खोली और बोली—"बेटा ! तुम आ गए। अब मैं न बचूंगी। ऐसा दर्द तो कभी नहीं हुआ।"

पत्नी—"न जाने किस मनहूस घड़ी में यह छोकरी पैदा हुई थी ?"

सास—"बहू ! भगवान की इच्छा है। यह क्या जाने ! मैं मर जाऊं तो इसे कष्ट मत देना। किसी के सिर तो जाती ही, मेरे ही सिर सही। हाय भगवान ! अब मैं नहीं बचूंगी।"

दामोदर—"डाक्टर को बुला लाता हूं !"

"नहीं बेटा ! डाक्टर के पास मत जा। यहीं मेरे पास बैठकर भागवत का पाठ कर।"

दामोदर—"तेंतर है बुरी चीज, मैं समझता था कि सब ढकोसला है।"

पत्नी—"इसी से मैं उसे मुंह नहीं लगाती थी।"

सास—"बच्चों को आराम से रखना, किसी दूसरे के सिर जाती तो न जाने क्या होता राम ! भगवान ने मेरी विनती सुन ली। हाय ! हाय ! !"

दामोदार को बड़ा दुःख था कि शायद अम्मा नहीं बचेंगी। कितनी तकलीफों से विधवा होने के बाद पाला-पोसा, पढ़ाया लिखाया। उनकी चलती तो मां के बदले तेंतर को हरगिज स्वीकार न करते।

रात को पत्नी रोटी बनाने चली तो सास से बोली —"अम्मा जी ! तुम्हारे लिए साबूदाना बना दूं ?"

सास व्यंग्य से बोली—"बेटी ! अन्न बिना न मारो, पूरी-कचौड़ी बनाओ। मरना ही है तो खाने को तरस कर क्यों मरूं। थोड़ी मलाई भी दे देना और केले भी मंगवा लेना।" भोजन कर पीड़ा कुछ शांत हो गई, पर आधा घंटे बाद फिर ज़ोर से होने लगी। आधी रात जाकर आंख लगी।
एक सप्ताह तक बूढ़ी की यही हालत रही।
दिनभर तड़पती पर भोजन के समय वेदना कम हो जाती। दामोदर पंखा झलते और गीता सुनाते।
घर की महरी ने मौहल्ले भर में खबर फैला दी।
पड़ोसिनें आईं तो सारा इल्ज़ाम बच्ची के सिर गया।

एक हफ्ते बाद बुढ़िया का कष्ट खत्म हुआ।
वह खाट छोड़ उठ खड़ी हुई। मरने में कोई कसर नहीं बची थी। वह तो कहो पुरखों का पुण्य-प्रताप सामने आ गया। दुर्गापाठ हुआ। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया तब जाकर संकट कटा।
तेंतर घर के लिए अशुभ नहीं थी। □

मसूरी से आया सीमा का पत्र हाथ में था और निर्मला की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू आनंद के आंसू थे। वह अपने विचारों और पुरानी बातों की याद में खो गई।

उसे याद आए वे दिन जब उसका ब्याह हुआ था। वह बहुत खुश थी। अपनी मर्जी के अनुसार और अपनी पसंद के युवक से उसने ब्याह किया था। उसके माता-पिता की ओर से तो अधिक विरोध नहीं हुआ था, किशोर के माता-पिता ने जरूर विरोध किया था। लेकिन किशोर का स्नेह निर्मला के लिए इतना बलवान था कि वह सब विरोधों को काट कर भी निर्मला से ब्याह करने का फैसला कर चुका था।

ब्याह के एक साल बाद सुमन पैदा हुई। जन्म के कुछ दिन पहले किशोर ने अपनी मां को अपने पास

सोने की मोहर

संतोष बजाज

बुलाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने अपने जोड़ों के दर्द का बहाना बना निर्मला की मां को बुलवाने का सुझाव दिया। निर्मला की मां आई। उन्होंने तन-मन से अपनी बेटी की सेवा और देखभाल की और एक सुंदर सी नातिन की नानी बनी।

निर्मला और किशोर दोनों ही अपने बच्चे के जन्म पर खुश थे लेकिन नानी ने एक दिन कह ही दिया—"निर्मला, मैं तो सोने की मोहर लेकर आई थी कि बेटा होगा तो उसे यह दूंगी। अब मैं यह अपने ही पास रखूंगी। जब भी मेरा नाती होगा तो उसे दूंगी।" यह कह कर सचमुच ही उन्होंने सोने की मोहर बेटी-दामाद को दिखाकर बक्से में वापिस बंद कर ली। कुछ दिन बाद वह अपने घर लौट गई। निर्मला और किशोर अपनी ही खुशी में खोए पुराने ढर्रे से जीवन बिताने लगे।

धीरे-धीरे ब्याह के दस सालों में निर्मला के घर तीन बेटियों का जन्म हुआ। पहली का नाम सुमन, दूसरी का लता और तीसरी का सीमा रखा गया। हर जापे में निर्मला की ही मां आती और सोने की मोहर लाती। लेकिन न निर्मला के घर बेटा हुआ और न ही वह सोने की मोहर उसे मिली।

कुछ साल बाद निर्मला की मां का देहांत हो गया। सास-ससुर को यह गम खाए जा रहा था कि उनका वंश चलाने वाला ही कोई नहीं, लेकिन किशोर और निर्मला के आपसी प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई।

लड़कियां बड़ी होती गई। माता-पिता ने अपनी बच्चियों को कभी लड़कों से कम नहीं माना।

खेल-कूद, पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ लड़कियों के सहज गुण भी उनमें आए। बड़ी लड़की सुमन जब पहली बार बारहवीं की परीक्षा में अपने स्कूल में अव्वल आई तो मां का मन गद्‌गद् हो उठा। उसने दुगुने उत्साह से तीनों बेटियों को खूब पढ़ाने का निश्चय किया।

सबसे बड़ी सुमन ने एम.ए. किया और उसके बाद कंप्यूटर की विशेष ट्रेनिंग कर हवाई जहाज की एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर ली।

निर्मला की दूसरी बेटी ने इंजीनियरिंग के बाद बिजनेस मैनेजमेंट पास कर एक जानी मानी कंपनी में दो साल की नौकरी की। अब वह अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही है।

तीसरी लड़की है यही सीमा। निर्मला को आज यह याद करके हंसी आ गई कि उसका नाम उसने सीमा क्यों रखा था। उसे लगा कि बेटे के लोभ में उसने जो तीसरी लड़की को जन्म दिया है तो अब उसे एक सीमा खींच देनी चाहिए। अब और संतान नहीं होगी। यही उसके परिवार की सीमा होगी। उसने अपनी इस बेटी का नाम सीमा रखा था।

यही सीमा आज भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) कर मसूरी में प्रशिक्षण पा रही है। वहीं से उसने अपनी मां को पत्र लिखा है। पत्र ने इतना भावुक कर दिया कि निर्मला यह भूल गई कि वह पुरानी बातों को सोचते हुए न जाने कितनी बार रोई और कितनी बार अकेली बैठी मुस्कराती रही। उसे अपनी मां के मोहर लाने और निराश होकर वापिस ले जाने की बात कचोटती रही। वह जीवन भर इस अपमान को नहीं भूल पाई।

काश, आज इन लड़कियों की नानी जिंदा होती तो वह देखती कि जिस सोने के टुकड़े के योग्य उसने इन बेटियों को नहीं माना था आज उनकी हर बेटी ऐसे कई सोने के टुकड़े खरीद कर निर्मला के चरणों में डाल सकती है। □

फूलवती जैन की कहानी
एक साहसपूर्ण फैसला
रीता चतुर्वेदी

फूलवती का जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उसकी मां अनपढ़ और पिता फौज में थे। मां-बाप ने उसे पढ़ाया नहीं। वह केवल कक्षा 2 तक पढ़ सकी। लेकिन पढ़ने की उसमें इतनी लगन थी कि वह स्वयं पढ़ती रही और अब वह पत्र-पत्रिकाएं पढ़ लेती है। उसकी शादी 13 साल की उम्र में कर दी गई और कुछ ही वर्षों में उसके एक लड़की और दो लड़के भी हो गए। फिर आपसी मतभेद के कारण फूलवती और उसके पति ने तलाक ले लिया।

तलाक लिए पांच वर्ष हो गए। अब फूलवती ने एक बंजारा लड़के से विवाह किया है और बहुत खुश है। उसके बच्चे उसके पहले पति के पास रहते हैं, क्योंकि तलाक के समय वह कमाती नहीं थी। फूलवती ने ही यह फैसला किया था कि बच्चे वहां रहें, क्योंकि उनका पिता बच्चों को ठीक तरह से रख सकता था। वह जब बच्चों से मिलना चाहती है तब अपनी मां के यहां बुलाकर मिल लेती है। उसके पति को भी कोई एतराज नहीं होता।

वह दूसरी शादी कर भरतपुर जिले के 'बंजारों का नगला' नामक गांव में रहती है और बहुत खुश है। अभी उसे उन लोगों की भाषा ठीक तरह नहीं आती, पर वह उनकी भाषा और तौर-तरीके सीखने की पूरी कोशिश कर रही है।

उसके नए समाज के लोग भी उससे खुश हैं और कहते हैं कि फूलवती ने ही उनके इस भ्रम को तोड़ा है कि शादी अपनी जैसी हैसियत वाले परिवार में ही सफल होती है। असल में लड़की-लड़के दोनों के स्वतंत्र विचारों का होना ही विवाहित जीवन में सुख पाने के लिए जरूरी है। फूलवती के साहसपूर्ण निर्णय से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। □

रोटी की जुगाड़ में पिसते बच्चे

वीणा चौहान

हमारे मौहल्ले में चौका-बर्तन करने जो औरत आती है उसके साथ उसकी 10-11 वर्ष की बेटी भी आती है। खेलने-कूदने व पढ़ने की उम्र में उसे अपनी मां के साथ चौका-बर्तन करते देख मेरा मन दुखी हो उठता था। क्या भविष्य होगा ऐसी अशिक्षित गरीब बच्ची का। एक दिन मैंने उसकी मां से पूछ लिया कि लक्ष्मी को स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? मेरे इस सवाल से जो बातचीत उपजी वह इस तरह थी—

तुम्हारे मौहल्ले में कोई स्कूल है?

जी है। सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल भी।

तुमने लक्ष्मी को पढ़ने क्यों नहीं भेजा?

पिछले साल दाखिल कराया था। कुछ महीने वह बराबर गई, लेकिन बाद में उसने जाना बंद कर दिया।

क्यों बंद कर दिया?

बात ऐसी है कि जो सरकारी संस्था गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाती है, उसे सरकार की ओर से दलिया, गुड़, घी, तेल, साबुन, पेस्ट व दवाइयां मिलती हैं। शुरू में एक-दो महीने तो मास्टरनी बच्चों को थोड़ी-बहुत चीजें देती रहती है, उनके लालच में बच्चे रोज स्कूल जाते रहते हैं। धीरे-धीरे ये चीजें गायब होने लगती हैं। दलिये में गुड़-घी नदारद हो जाता है। तेल, साबुन, दवाई कुछ भी मांगें तो टाल दिया जाता है। पढ़ाई भी अनमने ढंग से कराई जाती है। जल्दी छुट्टी कर दी जाती है या बिल्कुल ही छुट्टी कर दी जाती है। प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा है जो हम गरीबों के बस की बात नहीं।

सब मिलकर शिकायत क्यों नहीं करते?

कुछ लोगों ने कई बार लिखित में बड़े अफसर को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मास्टरनी जी कहती हैं कि अफसर बच्चों के लिए आई चीजें स्वयं हड़प कर लेते हैं।

अंत में उसने एक बात दबी जुबान से बताई कि स्कूल में हरिजनों के बच्चों को भी साथ बैठाकर खिलाया जाता है, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाए और उनके बर्तन अलग रखे जाएं। पढ़ाई के पीछे वे अपना धर्म थोड़े भ्रष्ट करेंगे। इन्हीं कारणों से मैंने अपनी लड़की की पढ़ाई छुड़वा दी। वह पढ़-लिखकर क्या करेगी। मेरे साथ काम करेगी तो दो पैसे कमाना सीख जाएगी।

झूठा डर

उसका अंतिम तर्क सुनकर तो मैं चौंक उठी। बच्चे अशिक्षित रह जाएं, पर वे हरिजनों के बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे। धर्म भ्रष्टता का झूठा डर बच्चों को असुरक्षित भविष्य की ओर धकेल रहा है।

योजना और कार्यक्रम बना देना ही काफी नहीं, सही लोगों को लाभ पहुंच रहा है या नहीं यह देखना भी आवश्यक है। एक स्कूल के माध्यम से ही समझा जा सकता है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी चली गई हैं। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और सामाजिक चेतना जाग्रत नहीं होगी तब तक गरीब बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना

मुश्किल बात है। पर यदि पूरा मौहल्ला स्कूल में हो रही धांधली के खिलाफ उठ खड़ा हो तो प्रशासन पर कुछ न कुछ असर जरूर होगा।

11 वर्ष की मीना, 8 वर्ष के मुरारी और 10 वर्ष की प्रेम की समस्या भी कुछ इसी तरह की है।

बकरी चराती मीना से मैंने पूछा—
"तुम्हारे मां-बाप क्या करते हैं?"
"बाप नहीं है, मां मजूरी करती है।"

"तुम पढ़ने क्यों नहीं जातीं?"
"हम गरीब हैं, पढ़ कैसे सकते हैं?"

"बकरी चराकर कितना कमा लेती हो?"
"50 रुपये महीना।"

मुरारी छः सात वर्ष का था जब स्कूल जाने लगा। एक दिन मास्टर जी ने किसी बात पर मुरारी की जोरदार पिटाई करदी। तब से जो उसने स्कूल जाना छोड़ा आज तक नहीं गया। न मास्टर जी को किसी ने समझाया, न मुरारी को।

प्रेम और छोटी बहिन साथ में प्लास्टिक, लोहा, शीशी बीनती चलती हैं। 1-2 रुपया रोज वे भी कमा लेना चाहती हैं।

बच्चों की गरीबी, अशिक्षा और अवैध बालश्रम संबंधी समस्याएं मां-बाप की गरीबी के कारण ही नहीं हैं, बल्कि सरकारी योजनाओं को ठीक तरह लागू न करना या करोड़ों रुपयों की योजनाओं का उन बच्चों तक न पहुंचाना भी है जिनके नाम पर योजनाएं बनती हैं।

जवाहर रोजगार योजना हो या पंचायती राज में सुधार, वे प्रशासन की बेरुखी और अफसरों के निहित स्वार्थों की वजह से गरीब तबके तक नहीं पहुंच पाती हैं। जरूरत है स्वयं-सेवी संस्थाओं की जो इन योजनाओं में सक्रिय सहयोग दे सकें। इसकी ज्वलंत मिसाल है स्वामी अग्निवेश का—"बंधुआ मुक्ति मोर्चा।" कानून इस समस्या से उतना नहीं जूझ पाया या समाज के सामने नहीं ला पाया जितना मुक्ति मोर्चे ने उजागर किया। इस मोर्चे ने समूचे देश में बंधुआ-मजदूरी के खिलाफ जिहाद-सा छेड़ रखा है। इसी तरह के कुछ अन्य मोर्चे जब समाज में शुरू हो जाएंगे तभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। □

नारी का क्या है नारा
जायजाद पे हक हो हमारा

जिस देश में औरत बिकती है
उस देश का भट्टा बैठेगा

स्त्री की अपनी पहचान भी है

वीना जैन

आज की औरत अपने अधिकार पाने के लिए जी-जान से कोशिश कर रही है। ये अधिकार क्या हैं ? आत्म-सम्मान क्या है ? इन दोनों में क्या अंतर है ? आज मैं आत्म-सम्मान की बात करना चाहती हूं जिसे स्त्री खो देती है, चाहे वह कितना ही अधिकारों के लिए लड़ रही हो।

पति को या तो परमात्मा का रूप माना जाता है या पति के सम्मान से ही स्त्री का सम्मान जुड़ा माना जाता है। उन स्त्रियों को जो पति को परमात्मा मानती हैं हम यह कहना चाहती हैं कि पति व्यक्ति है, भगवान नहीं। पर शिक्षित नारी का व्यक्तित्व अभी भी पति के गौरव के चारों ओर घूमता रहता है। वह आज भी स्वयं कुछ नहीं है। पति की मृत्यु के बाद वह विधवा कहलाती है और इस शब्द के साथ लोगों की सहानुभूति चाहती है। समाज में पति के नाम के साथ 'उसकी विधवा' शब्द जोड़कर वह अपना परिचय देती है। क्या उसका अपना कुछ नहीं ? क्या पति के बाद वह सिर्फ उसकी विधवा रह जाती है, पत्नी नहीं ? लगता है असहाय कहलाना उसकी आदत बन गई है। उसे शौक है कि लोग उसे दया से देखें।

दुनिया के भीड़-भड़क्के में कितनी खुशी से जीवन बीत रहा था। जीवन के अंधेरे की ओर ध्यान तक नहीं गया था, उसे सोचने का समय ही नहीं था। पति-पत्नी दोनों अपने कामों में व्यस्त थे, पर एक दूसरे से जुड़े हुए। काल की एक ही चपेट में दोनों अलग हो गए, पर क्या ऐसा जीवन बिताने के बाद स्त्री अपने पति का नाम जीवित नहीं रखना चाहेगी ? जिसने पति के साथ गौरवपूर्ण जीवन बिताया हो, क्या एक ही क्षण में वह बेचारी हो जाए। क्यों ? वह अपनी उन सुनहरी यादों को सहारा बनाकर जीवन गौरवपूर्ण बिता सके यह तभी संभव है जब वह दुनिया के सामने अपने को लाचार व बेसहारा न समझे। वह अपने पति के नाम को अपने साथ जोड़कर निखार सकती है।

समाज उसे तिल-तिल कर क्यों मारना चाहता है ? उसकी सब खुशियों पर—खाने पर, पहनने-ओढ़ने पर बंधन लगाए जाते हैं। क्यों उसके सब अधिकार ले लिए जाते हैं ? क्यों उसे अभागा माना जाता है ? क्या ये बंधन पुरुष पर भी लगाए जाते हैं जिसकी पत्नी मर जाती है ? क्या वह भी अभागा है ? नहीं। पति के बाद जब वह अधिकार की मांग करती है तो उसे ऐसे देखा जाता है मानो वह कुछ नाजायज मांग कर रही है। यह अन्य किसी का दोष नहीं स्वयं स्त्री का है। आज भी वह उसी जगह खड़ी है जहां हजारों साल पहले थी।
उसे स्वयं समझना और बदलना होगा। □

अनुवादिका : वीणा शिवपुरी

हर औरत के नाम

रुको, ठहरो और सुनो
हमारी शक्ति की आवाज़
हृदय की मौन पुकार
हम सक्षम हैं, सक्षम हैं, सक्षम हैं।
कोटि कोटि हाथों की ताकत में
जोड़ दो
अपनी ताकत
आने दो ज्वार बदलाव का
बढ़ती चलो, आगे
नये वक्त
नई जगह
अपने ही बनाये नये युग की ओर।
खिलने दो क्रोध के फूल
बिखरने दो अंगारे
कुचल दो सख्ती से
उस अन्याय को
भोगती आई हैं जिसे
सब औरतें
और दलित वर्ग सारे।

अनुवादिका : वीणा शिवपुरी

हाय ! कैसी मजबूरी

विमला गोयल

बरसात का मौसम, आसमान पर छाए घने बादल। जब सुबह सात बजे आने वाली लक्ष्मी साढ़े आठ बजे तक नहीं आई तब मेरा माथा ठनका। शायद वह फिर बीमार पड़ गई है और दो-चार दिन मुझे ही बर्तन, झाड़ू करनी होगी, ऐसा सोच ही रही थी कि दर्वाजा खुलने की आवाज आई और लक्ष्मी जल्दी-जल्दी आती दिखाई दी। उसका मुंह सूजा सा लगा, शायद बुखार था। मैंने कहा—"लक्ष्मी ! आज इतनी देर से क्यों आई ?" वह कराहती हुई बोली—"का करी बहू जी, संझा हिया से गई रही, तेइसे बुखार चढ़ आया। ऊपर से यह पानी हमका रुला दिहिस। रातभर झुग्गी में पानी टपकत रहन और रातभर हम खटिया इधर से उधर करत रहिन। पनिये ने आंख लगन नहीं दी।"

उसे डर था कि बहूजी उसकी छुट्टी न कर दें। वह आगे बोली—"हम बिटिया को लिवाए लाए हैं, अब हिन सब काम निपटा लेवत हैं।"
यह बिटिया जिसका नाम शकुन था उसकी स्वर्गवासी बेटी उसे सौंप गई थी। अब फिर से पालो-पोसो एक बिटिया को। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैंने तुरंत उसे चाय बनाकर दी और साथ में दर्द की गोली भी और कहा तू बैठकर सुस्ता ले।
तेरी शकुन मेरे साथ काम कर लेगी। 9 वर्ष की शकुन अपने नन्हें हाथों से बर्तन मलने लगी।
मैं सोचने लगी भगवान विष्णु ने अपनी लक्ष्मी को यह दरिद्रता भुगतने क्यों भेजा है ?

एक महीने पहले मेरी पुरानी महरी कुछ निजी कारणों से काम छोड़कर चली गई थी।
ब्याह के बाद पति से न पटने के कारण वह अपने भाई के पास रहकर गुजारा कर रही थी। उसने हमारे यहां दो साल काम किया। वह बताती थी कि उसका अपने पति से समझौता हो गया है और अब वह ससुराल में रहेगी। उसका गृहस्थ जीवन सुखी हो जाएगा, यह जानकर मैंने उसे सहर्ष विदा कर दिया था।

उसके बाद लक्ष्मी आई। सबसे पहली बार मिली तो मुझे यक़ीन नहीं आया कि उसके शरीर में ज़रा भी जान है। मिट्टी के रंग में रंगी मोटी मर्दानी धोती में लिपटा हड्डियों का ढांचा, सूखी कलाइयों में स्टील की चूड़ियां, मेरे मुंह से निकला "नहीं, तुझ से काम नहीं होगा।" जवाब में उसने कहा कि वह सब काम कर लेगी, उसे काम की बड़ी ज़रूरत है।
मैं कुछ देर असमंजस में रही। कामवाली की मुझे भी सख्त ज़रूरत थी, दोनों ज़रूरतमंद थे, इसलिए लक्ष्मी मेरे यहां काम करने लगी। एक दो और महरियां काम की तलाश में आईं। लक्ष्मी कहती—"हमका न हटाई, बहूजी ! हम बहुत दुःखी हन। आपन तो भूखी-प्यासी रह सकित हैं, पर नन्हीं नातिन को भूखी नहीं देख सकित।"

मैंने पूछा—"तुम्हारा कोई बेटा नहीं है ?" यह सुनते ही वह रोने लगी। मैं सकपका गई कि बेकार बेटे का किस्सा छेड़कर उसका जी दुखाया।
शायद उसका कोई बेटा रहा होगा जो अब नहीं है। उसने धीरे-धीरे बताया कि उसके चार बेटे हैं और सबके ब्याह हो गए हैं। पर पिता के मरने के बाद वे मां की कोई मदद नहीं करते, बल्कि बुरा-भला कहते हैं। सब इतने कठोर हैं कि बिना मां की बच्ची अपनी भांजी को भी जब तब पीट देते हैं।
उसने बताया कि उसे कई जगह अच्छे काम मिले, पर कमज़ोर शरीर के कारण छूट गए।
"का करी, इस पापी शरीर का ?"

उससे कुछ भी फालतू काम कहने में संकोच लगता है। रसोई में बर्तन निकालते समय ध्यान रखती हूं कि उसके बूढ़े शरीर को अधिक काम न करना पड़ जाए। उससे काम तो कराना पड़ता है, पर उसे देखकर मन रो उठता है। कई बार सोचती हूं कि उसे हटा दूं। उसका कष्ट उठाकर काम करना देखा नहीं जाता।

मैं बड़े धर्म संकट में हूं। यदि इसके कमजोर बूढ़े शरीर पर तरस खाकर उससे काम कराना कर दूं तो उसका और उसकी नन्हीं बच्ची का स सा सहारा भी छूट जाएगा। न तो उसे हटाते ब है, न ही उसके आए दिन के नागों के कारण मु काम संभलता है। रात को जब पानी की बौछा जलतरंग का संगीत पैदा करती है तब मुझे अना लक्ष्मी अपनी खटिया उठाए झुग्गी के एक कोने दूसरे कोने में घूमती नजर आती है। तब मैं इंद्र देवता से प्रार्थना करती हूं कि कृपा कर वर्षा बंद दो, ताकि लक्ष्मी सो सके, वरना उसे फिर बुखा चढ़ आएगा और मुझे फिर बर्तन मलने पड़ेंगे।

मैं सोचती हूं सुबह से शाम तक अनगिनत क का सिलसिला। लक्ष्मी की बीमारी का डर! क्या मैं लक्ष्मी से काम लेना बंद कर दूं? एक स महरी रख लूं, पर कभी बूढ़ी लक्ष्मी का चेहरा, नन्हीं शकुन का चेहरा आंखों के सामने घूम जा मुझे हालात से समझौता करके चलना होगा।

'सबला' के पाठकों की राय

'सबला' का अक्तूबर-नवंबर का "कानून" अंक पढ़कर बहुत से सवाल मन में उठ रहे हैं। लगता है कानून सिर्फ कानून की मोटी पुस्तकों के अंदर ही न्याय की बोली बोलते हैं। जैसे ही कानून गरीब या महिला की फरियाद पर क्रियान्वित होता है वह प्रतिकूल न्याय ही देता है, ऐसा क्यों है? 'परिवार न्यायालय' से स्थिति कुछ बदली है, ऐसा दिखाई नहीं देता। वहां भी पुरुषों का ही पक्ष लिया जाता है। हमें एक समानांतर न्याय व्यवस्था बनानी होगी, तभी अन्याय मिट पाएगा।

विजय लक्ष्मी जोशी
जिला इदारा महिला विकास कार्यक्रम
शास्त्री नगर, अजमेर (राज.)

'सबला' का अक्तूबर-नवंबर अंक प्राप्त हुआ। निश्चित ही महिलाओं के हक, अधिकार, कानून व इनसे संबंधित घटनाएं, कहानियां आदि देने वाली यह अनूठी पत्रिका है। खासकर 'महिला विकास' हेतु कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है।

बंशीलाल गर्ग
गांव खजूरी (बारापाल)
गिर्वा, उदयपुर (राज.)

आप द्वारा भेजे गए अंक 7-8 में महिलाओं के लिए कानून, दहेज-विरोधी कानून, क्रूरता और शोषण से बचाव, विवाह एवं तलाक-संबंधी कानून, सती विरोधी कानून आदि पढ़े। यदि आप इसी प्रकार कानून-संबंधी जानकारी से अवगत कराती रहें तो हमारे ग्रुप की काफी महिलाएं जानकारी हासिल कर सकती हैं।

कमला चतुर्वेदी
एक्ट कोटड़ी
रूपनगर, अजमेर (राज.)

आपकी संस्था द्वारा प्रकाशित 'सबला' पत्रिका मैंने पढ़ी जो महिलाओं को जागरुक बनाने का अच्छा प्रयास है। नवसाक्षर महिला समाज को भी उसके अधिकारों एवं मूल्यों से जागरुक करना आवश्यक है।

निशात फातमा
दीपायतन,
बुद्ध कालोनी, पटना-1 (बिहार)

'सबला' का 7-8 अंक पढ़ा जो ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं एवं शिक्षित बहनों के लिए जिन्हें अपने अधिकारों का उचित ज्ञान नहीं है बहुत उपयोगी है। वास्तव में इस प्रकार की पत्रिकाएं हमारे महिला समाज के उत्थान हेतु अद्वितीय माध्यम हैं।

श्रीमती रजनी दे
आर.बी. असहाय महिला गृह उद्योग संस्थान
पो. करनैलगंज, जनपद गोंडा (उ०प्र०)

हमें यहां-वहां से 'सबला' के कुछ अंक प्राप्त होते रहे हैं। हम उसे नियमित रूप से मंगाना चाहते हैं। पत्रिका बहुत उपयोगी एवं जानकारी से भरपूर है।

डा० परवेश मिश्रा
सचिव,
राजा नरेश चंद्र सिंह स्मृति सेवा संस्था
गिरिविलास पैलेस, सारगढ़

जिन अबलाओं के हाथों में 'सबला' जाएगी उन्हें उनकी शक्ति का अहसास अवश्य दिलाएगी। यह विश्वास हमें आपके कुछ अंक पढ़कर हो गया है। नारी स्थिति पर गहन चिंतन-मनन की सामग्री भी समाहित कीजिए। इससे 'सबला' उनकी भी प्रिय बनेगी जो समाज में नारी की सही पहचान बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर सक्रिय हैं या होना चाहते हैं।

कांता मरवाह
सचिव,
अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति
शास्त्रीनगर, अजमेर (राज.)

महिला जागृति के लिए कार्यरत महिलाओं के लिए 'सबला' निश्चित ही मार्गदर्शन करती है। इसके द्वारा हमें नई-नई जानकारी मिलती रहती हैं। हम 'सबला' को अपनी ग्रामीण बहनों "साथिनों" को भी समय-समय पर देते रहते हैं। वे इसे खूब पसंद करती हैं। किसी पढ़ी-लिखी बहन से वे इसे पढ़वाकर सुन लेती हैं।

हमारा "साथिन रो कागद" आपने 'सबला' में छापा जिससे उनकी बात कई मंचों पर पहुंची। इससे निश्चित ही साथिनों का उत्साहवर्धन हुआ। उन्हें लगा कि हमारी बात दिल्ली की बहनों ने भी जानी। महिला संगठन ही हमारी ताकत हैं जिसे दूर बैठकर भी हम महसूस करते हैं।

तारा अहलूवालिया
महिला विकास कार्यक्रम, जिला इकाई
महिला आश्रम भीलवाड़ा (राज.)

'सबला' के अक्तूबर-नवंबर अंक की प्रति प्राप्त हुई जिसे पढ़कर लगा कि यह पत्रिका हमारे प्रयत्न में सहायक हो सकती है। हमारी संस्था उदयपुर जिले के हल्दीघाटी क्षेत्र में 8-9 वर्षों से ग्रामीण विकास व पर्यावरण संरक्षण संबंधित काम कर रही है।

शांतिलाल भंडारी
सजीव सेवा समिति
कनक कुंज, जसराज मार्ग
475, भूपालपुरा, उदयपुर (राज.)

समूह में है ताकत

महिला दिवस पर निकाला गया एक जुलूस

(सेवापुरी, वाराणसी)

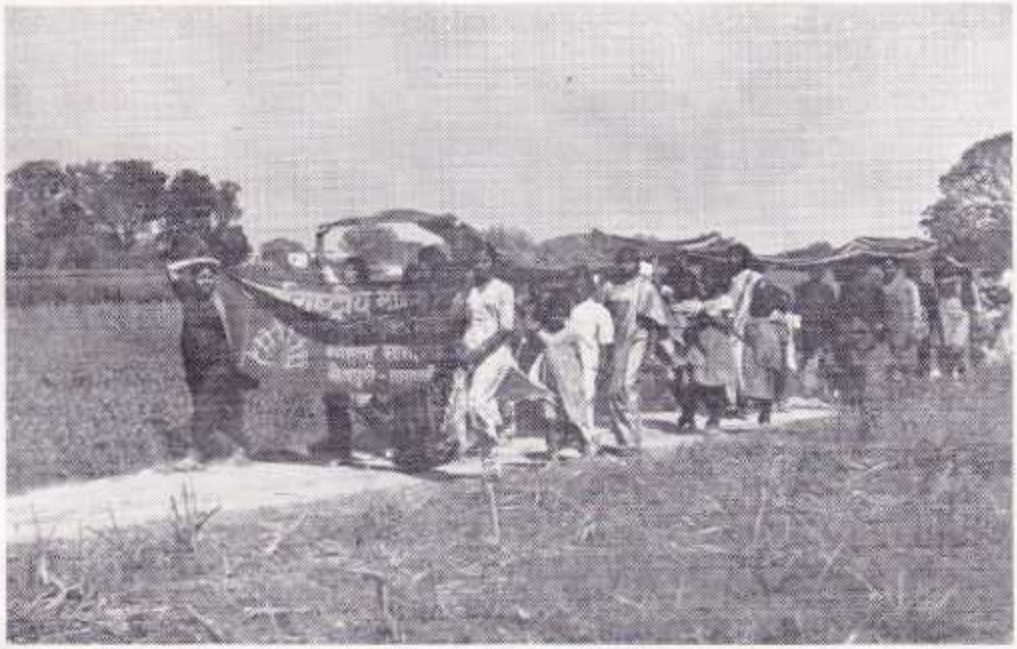

बहुत सहा है अब ना सहेंगे
अपने हक हम लड़कर लेंगे
मांगे से कोई हक ना देगा
हक लेने को लड़ना होगा

इज्जत से गर जीना है तो
हिम्मत से हमें लड़ना होगा
भूखे, नंगे कब तक रहेंगे
शोषण अब हम नहीं सहेंगे

बहुत हुआ बहना बहुत हुआ
रोना सहना बहुत हुआ
अत्याचार अब नहीं सहेंगे
सारे हक हम लड़ कर लेंगे